

Title: Clarifications on the statement made by the Home Minister on 31.7.2001 on the killing of Shrimati Phoolan Devi.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्मल) : अध्यक्ष महोदय, बहुत दुख, अफसोस के साथ और भारी मन से कहना चाहता हूँ कि आपके सामने स्वर्गीय श्रीमती फूलन देवी के संबंध में गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य का कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई सकारात्मक उत्तर नहीं है, जिससे हम समझते हों कि पूरे सदन का कोई भी सदस्य सहमत होगा। इस वक्तव्य के माध्यम से भ्रम की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस पर हम गृह मंत्री जी से कुछ सवाल करेंगे। श्रीमती फूलन देवी की हत्या को लेकर नये सवाल खड़े हुए हैं। जनप्रतिनिधियों, सारी जनता और नागरिकों के लिए अहम् सवाल यह पैदा हो गया है कि फूलन देवी या कोई डकैत या अपराधी जब तक बीहड़ों में है, तब तक सुरक्षित है और बीहड़ों के बाद वह असुरक्षित है। इस हत्या के बाद यह साबित हो गया है। क्योंकि श्रीमती फूलन देवी को किस तरह से हत्या का शिकार बनाया गया है। दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण और वी.वी.आई.पी. एरिया में उनका निवास स्थान है जिसकी दूरी सदन से लगभग एक किलोमीटर है, दिनदहाड़े उन्हीं के दरवाजे पर उनकी हत्या करने का दुस्साहस हम सब लोगों को लिए खतरे की घंटी है। आज जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें विशेष रूप से इसमें गम्भीरता से कोई रास्ता निकालना चाहिए और सही तथ्यों को जानने की कोशिश होनी चाहिए। सुरक्षा के क्या मापदंड हैं, यह गृह मंत्री जी को स्पष्ट बताना चाहिए। केवल जिला परिषद, पुलिस, जिलाधिकारी या जो आपकी खुफिया और इन्टेलिजेंस एजेन्सीज हैं, उन्हीं पर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को छोड़ना मैं अच्छा नहीं समझता। सरकार और नेताओं में व्यावहारिक समझ भी होनी चाहिए। लेकिन पूरी की पूरी पुलिस, जिला परिषद या इन्टेलिजेंस पर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, जिसके माध्यम से आप समीक्षा करते हैं,

वह अपनी नजर से करते हैं, सरकार के अधिकारी जो दस्ती देते हैं, उसी की रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं। मुझे मालूम है उसमें हम नहीं जाना चाहते, कई ऐसी घटनाएं हैं, अगर गृह मंत्री जी कभी भी समय दें तो उनको ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि आपकी आईबी किस तरह से गलत रिपोर्ट देती है।

श्री अवतार सिंह मडाना (मेरठ) : मुलायम सिंह जी, मैं यहीं पर उदाहरण दे सकता हूँ कि गृह मंत्री जी को सुरक्षा के बारे में आई बी ने लिखा और जेड कैटागरी की सुरक्षा मुझे दी गई थी और सरकार बदलते ही और आपके गृह मंत्री बनते ही उसी दिन वह हटा ली गई। उसके बाद बराबर मैं आपको और आपकी सरकार में होम मिनिस्टर को, उत्तर प्रदेश के होम सैक्रेटरी को बराबर लिखता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुनी और आज भी रिपोर्ट आपके पास है और मैंने आपको लिखा है उस पर गौर कर लें। यह सुबूत है इस बात का कि आपने सांसदों की अनदेखी की है और सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता के लोगों को सुरक्षा पहुँचाने का काम किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि तमाम समाचार-पत्रों में खबरें आ रही हैं कि उग्रवादी और आतंकवादी गृह मंत्री पर हमला करने वाले हैं, उनकी जान लेने वाले हैं, उनकी हत्या करने के ङ्खत्र किये जा रहे हैं और किये गए। तो क्या आप अपने पद से जब हट जाएंगे तो आपके लिए खतरे टल जाएंगे? जब आप उत्तर दें तो इस बात का भी उत्तर आना चाहिए। क्योंकि ये मापदंड आपने निर्धारित किए हैं - क्या इस आधार पर नहीं किए हैं?

दूसरी बात जहां तक फूलन देवी का सवाल है कि वह अपने पारिवारिक जीवन से भी अत्याचार और अन्याय का शिकार थी, उसका अनमेल विवाह, अपहरण और अपहरण के बाद गांव में नंगा घुमाया जाना और उस इलाके के डकैतों ने जबर्दस्ती पकड़कर उसे अपने गिरोह में शामिल किया, यह घटना इटावा जनपद की ही है। जहां तक इटावा जनपद का सवाल है, एक गांव रामनगर है, उसी गांव का एक डकैत उसे अपने गांव लेकर गया था। इटावा को बहुत बदनाम किया जाता है लेकिन इटावा में डकैत पैदा नहीं होते हैं। इटावा में छिपने का सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान है। क्वारी, जमली और जमुना तीनों के जो बांस के पेड़ हैं, उनकी वजह से सब आकर वहीं छिपते हैं और रहते हैं और उसकी वजह से आज कुछ डकैत पनप गए हैं। इसलिए हम जानते हैं कि उस जमाने में वह घटनाएं हुई हैं कि फूलन देवी का नाम लेकर उनकी जाति विशेष के कितने निर्दोषों की हत्या की गई और कितने मौकों पर हम खुद स्वयं पहुंचे हैं। इटावा जनपद में हुई और भी जगहों पर हुई लेकिन उसने इतना अत्याचार, जुल्म झेला कि साधारण महिलाएं तो आत्महत्या ही कर लेती हैं लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की और उसने अन्याय के खिलाफ लड़ने की कोशिश की और आज इस देश की गरीब, पिछड़ी जाति की महिलाएं जो शोण का शिकार रही हैं, उनकी ताकत वे बन गई थीं और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फूलन देवी पर बहुत कहानियां लिखी गई हैं, किताबें लिखी गई हैं, फिल्म बनाई गई लेकिन उसको हमेशा कुख्यात डाकू ही कहा गया। कभी भी समाज ने उसको सम्मान नहीं दिया। जिस समय उसको नंगा किया गया, बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, कोई समाज खड़ा नहीं हुआ और जब बिना मुकदमा तय किये, बिना सजा तय किये उसे 11 साल जेल में रखा और हमने जब उसे रिहा कर दिया तो उसी समाज ने हमको क्या-क्या नहीं कहा, राजनीतिज्ञों ने क्या-क्या नहीं कहा और जब इससे बड़े कुख्यात डाकू 33 साल के अंदर ही, नाम नहीं लूंगा, छोड़ दिये गये और किन लोगों ने छोड़ा है और किन लोगों ने सरेंडर कराया है, उनकी आलोचना में एक शब्द भी नहीं कहा गया, बल्कि तारीफ की है हिन्दुस्तान के मीडिया ने, राजनीतिज्ञों ने और इसी समाज ने - इस पर भी विचार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हम पर कितने हमले हुए, लेकिन जब एक अबला को, बिना सजा तय किए, 11 साल तक जेल में रखा गया, उस अबला को, 11 साल जेल में रहने के बाद और भयावह बीहड़ों में रहने के बाद, हम लोग यहां दिल्ली में उसे 11 साल भी जिंदा नहीं रख पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए, उसे हम ऐसे सुरक्षित स्थान पर नहीं रख पाए जहां उसकी हत्या न हो सके।

अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने अपने बयान में राजनीति के अपराधीकरण और इस मुद्दे के राजनीतिकरण की बात कही है। मैं कहना चाहता हूँ कि छोटी सी जिदगी में, फूलन ने बहुत उता-रुचदाव देखे हैं। वे एक निर्भीक, सीधीसादी एवं भोलीभाली महिला थीं जो दो-दो बार लोक सभा की सदस्य चुनी गईं, लेकिन हिन्दुस्तान में आजादी के बाद दो सवाल ऐसे हैं जो मैं आज सदन में माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ जो पहली बार हुए हैं और जो विचारणीय हैं। मैं पूरे देश से और सदन से कहना चाहता हूँ कि संसद के चलते फूलन देवी ऐसी पहली सांसद हैं जिनकी हत्या की गई। **â€œ**(व्यवधान)

श्री अवतार सिंह मडाना : पहली नहीं दूसरी हैं। पहले श्री ललित माकन थे।

श्री मुलायम सिंह यादव : ठीक है, हो सकता है, यदि मैंने गलत कह दिया हो, तो उसे दुरुस्त कर लिया जाए। यह सवाल जरूर है कि वे पहली ऐसी सांसद थीं जिनका दाहसंस्कार राजकीय सम्मान के साथ नहीं किया गया। गृह मंत्री जी इस बारे में अपने उत्तर के समय बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया। मुझे मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश का जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार था कि राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह-संस्कार किया जाएगा, उन्होंने उसके लिए तैयारी भी कर ली थी, लेकिन मुझे यह भी पता चला है कि जब किसी अफसर ने मुख्य मंत्री महोदय के सचिवालय में फोन कर के पूछा, तो कह दिया कि कोई राजकीय सम्मान नहीं दिया जाएगा। मुझे मालूम है, आज तक कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, कोई मंत्री ऐसा नहीं जिसका दाहसंस्कार राजकीय सम्मान के साथ नहीं किया गया हो। केवल अकेली फूलन देवी ही ऐसी हैं जिनका दाहसंस्कार बिना राजकीय सम्मान के किया गया। **â€œ**(व्यवधान)

श्री अवतार सिंह मडाना : क्योंकि वे पिछड़े वर्ग की महिला थीं, इसलिए उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : जो भी मानसिकता रही होगी, वह तो गृह मंत्री जी अपने उत्तर में बताएंगे। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में ऐसा कोई ि

वधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद या मंत्री नहीं है जिसका राजकीय सम्मान के बिना ही दाहसंस्कार कर दिया गया हो, एक श्रीमती फूलन देवी को छोड़कर, जो कि आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है।

1314 hrs. (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यह नहीं कह सकती कि मुख्य मंत्री ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, जो बताया गया वह सच है या गलत, वह तो गृह मंत्री जी ही बताएंगे। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि मैंने व्यक्तिगतरूप से जानकारी की है, यह बात सत्य है कि जिला प्रशासन श्रीमती फूलन देवी का दाहसंस्कार राजकीय सम्मान के साथ करना चाहता था। मैंने वहाँ स्वयं तखत रखा देखा। मैंने पूछा कि यह तखत क्यों रखा है, तो मुझे बताया गया कि चूंकि गंगा के किनारे जगह कम है, इसलिए उन्हें दूर ले जाना पड़ेगा, इसलिए तखत रखा है, लेकिन बाद में जिला प्रशासन ने बताया कि हमें ऐसा करने के लिए मना कर दिया गया है। क्या बात हुई, किससे बात हुई, यह सारी जानकारी, मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि वे अपने तरीके से करें और सदन को बताएं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि जो लेखपाल रिपोर्ट दे दे, वही मान लें और जैसा कि होता है कि थाने का थानेदार नहीं बल्कि थाने का मुंशी जो लिख देता है, वही रिपोर्ट मान ली जाती है और गृह मंत्री भी वही भाषा बोलते हैं, यह नहीं होना चाहिए। आपको असलियत की जानकारी रखनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, मैं आपसे अथवा आपके अधिकारियों से यह उम्मीद नहीं रखता था कि अधिकारी इतनी गलत रिपोर्ट आपको दे देंगे और उसे आप यहां पढ़ देंगे कि जो सुरक्षा लगातार मिल रही थी वह फूलन देवी को मिलती रही, ऐसा नहीं है।

आप बताएं। श्रीमती फूलन देवी की सुरक्षा में 1994 से 1997 जुलाई तक एक सब इंस्पेक्टर, दो हवलदार, आठ कॉन्स्टेबल और एक जिप्सी रही है। आपने रिपोर्ट दी कि जो सुरक्षा पहले थी, वही है। उसके बाद इसी लोक सभा में विरोध हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से निकाल दिया गया है। वहां से खड़े होकर श्रीमती फूलन देवी ने कहा था कि अगर हमारी हत्या हो गई, मैं नाम नहीं ले सकती, यह नेता जिम्मेदार होगा, इसकी सरकार है। उस समय के जितने सदस्य होंगे, उनको याद होगा, अगर आप सदन में बैठे थे तो आपको भी याद होगा। यह कहा गया था और यह भी कहा गया था कि हम आत्महत्या कर लेंगे, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। आपका मुख्य मंत्री पद पर रह कर, दिल्ली में इस तरह से गलत प्रचार कर रहा है। उन्होंने यह कह कर सुरक्षा मांगी और जिला प्रशासन, मिर्जापुर ने सुरक्षा का आदेश दे दिया कि 25 फीसदी निजी खर्च देना पड़ेगा। श्रीमती फूलन देवी ने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। जो गाड़ी मिर्जापुर में चल रही है, वह मैंने समाजवादी पार्टी से ली है। आप जांच करवा लीजिए कि समाजवादी पार्टी की गाड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं 25 फीसदी निजी खर्च कहां से दूंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे निजी लाइसेंस दे दीजिए। उन्होंने कलैक्टर, संत रविदास नगर से जाकर लाइसेंस मांगा। समाचार पत्र में वहां के एस.पी. का बयान है कि हम फूलन देवी को लाइसेंस नहीं दे सकते। आप पता लगाएं कि आदेश हुआ या नहीं। उस आर्डर की कॉपी घर पर है या कहां है। अगर सुरक्षा नहीं मांगी तो आपने सुरक्षा की क्या समीक्षा की है? यह कोई जरूरी नहीं है कि सुरक्षा मांगें। चंद्र शेखर जी सुरक्षा के लिए कभी दरखास्त नहीं दे सकते, मुझे मालूम है। आप समीक्षा करिए। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं आपसे कभी सुरक्षा नहीं मांगूंगा। मुज़फ्फरनगर में पता लगा लें। मुज़फ्फरनगर में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा उग्रवादी पकड़ा गया था, जिसे विदेश मंत्री जहाज में बिठा कर ले गए, उसका बयान था कि मुलायम सिंह, मुलायम सिंह के लड़के की हत्या करना चाहते थे। क्यों? धर्मलाल यादव उनका रिश्तेदार जिसने विदेशी नागरिकों को सहारनपुर में छोड़ा था। क्या यही आपकी समीक्षा है कि यह हमने कहा है? आप उसे बिठा कर कांधार ले गए। लेकिन हम जैसे लोग कभी भी सुरक्षा नहीं मांग सकते। आप क्या समीक्षा करते हैं? उसके बाद फूलन देवी उत्तर प्रदेश के गृह सचिवालय में जाकर मिलीं। उत्तर प्रदेश के अखबारों में है, आप निकलवा लीजिए। हम ज्यादा भाग नहीं देते। वे मुख्य मंत्री के सचिवालय में जाकर मिलीं। एक अफसर ने कहा कि मैडम, निजी खर्च देना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगा कि 25 फीसदी की बजाए कुछ कम हो जाए। यह ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन पहले की बात है। वह भी अखबारों में है। यह कहना कि सुरक्षा नहीं मांगी, ठीक नहीं है। उन्होंने आपकी दिल्ली में लाइसेंस मांगा और कहा कि मैं यहीं रहती हूँ। दिल्ली पुलिस का बयान आ गया कि हमने श्रीमती फूलन देवी को लाइसेंस नहीं दिया। फिर किस आधार पर आपकी सरकार और मुख्य मंत्री लखनऊ में बयान देने के लिए आते हैं, मुख्य मंत्री दिल्ली आते हैं और धड़ल्ले से कहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के कहने पर पुनः समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह की बयानबाजी है - कौन है माई का लाल? आपका मुख्य मंत्री माई का लाल है, हम सब किसके लाल हैं, पता नहीं। सरकार में बैठे हुए मुख्य मंत्री का इस तरह का चुनौतीभरा बयान? आप हमारे प्रवक्ता पर गुस्सा हो रहे हैं। गृह मंत्री जी, हमारा गुस्सा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रधान मंत्री जी अगर सुन रहे हों तो सुन लें, मेरा गुस्सा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। गृह मंत्री जी, अगर आप हम पर गुस्सा हो गए तो हो सकता है कि हम लोक सभा के गेट के बाहर जिन्दा नहीं पहुंचें। यह अंतर है, यह सरकार को दिमाग में रखना पड़ेगा। हमारे गुस्से और सरकार में बैठे हुए लोगों के गुस्से में अंतर है।

आपका गुस्सा तो सब का सर्वनाश कर देगा, नुकसान कर देगा। अगर हमारा कोई साथी बयान दे देगा तो उसके लिए प्रधान मंत्री और गृह मंत्री इतना गुस्सा करेंगे। प्रधान मंत्री जी को गुस्सा होना चाहिए था, उन्होंने गुस्सा दिखाया है, आपने नहीं दिखाया है, लेकिन आप गुस्सा हैं, जो मेरी जानकारी है। आप सुन लीजिए कि जब लोग गुस्सा जान जाएंगे कि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों अमर सिंह पर या मुलायम सिंह पर गुस्सा हो गये हैं तो हम जिन्दा कहां से मिल जाएंगे। फिर तो उनको मौका मिल ही जायेगा। यह हो रहा है और इसी का परिणाम फूलन देवी की हत्या है। फिर आप कहते हैं, हम उससे पूरी तरह से सहमत हैं कि अपराध को राजनीतिकरण पर मत ले जाइये। अगर ले जाते हो तो आप पर ही जवाब है और अगर जवाब है तो इसको कभी कानून बनाकर अपराधीकरण की बात करते हो। मैं कभी सहमत नहीं हुआ हूँ और मैं दावा करता हूँ कि आप गृह मंत्री पद से हट जाइये और आपके खिलाफ गाजियाबाद और मेरठ में रिपोर्ट लिखाकर आपकी सजा करा सकते हैं, यह जमाना आ गया है और आप चुनाव लड़ने के डिस्क्वालीफाई होंगे, यह मैं गारण्टी करता हूँ और मैं जान-बूझकर कहता हूँ कि आप गृह मंत्री पद से हटिये, मैं रिपोर्ट भी लिखवा दूंगा, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, ऐसा मौका आ जायेगा तो सजा करा देंगे, यह स्थिति है। इसलिए सभी दलों को बैठकर करना चाहिए, सभी दलों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अपराधियों को हम टिकट नहीं देंगे और फिर आप मत कहिये।

मेरा दुर्भाग्य है कि 1991 में हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा कुख्यात डकैत मेरे खिलाफ आपकी पार्टी से लड़ा था, तहसीलदार आपकी पार्टी का उम्मीदवार था। मेरा दुर्भाग्य है कि 1996 में दो अपराधी भाई थे, मैं नहीं जानता था, मैं आपके सदन में सच व्यक्त करता हूँ। बड़ा भाई मेरे पास आया, मैंने उससे कहा कि मैं तुझे टिकट नहीं दे सकता हूँ, तेरे छोटे भाई को दे सकता हूँ। मुझे पता नहीं था, मैं सोचता था कि छोटा भाई भला होगा। लेकिन मुझे पता चला कि 53 केस हत्या और डकैती में वह गिरफ्तार था। वह एम.एल.ए. हो गया तो मैंने उसे तुरन्त पार्टी से निकाल दिया और आपकी पार्टी ने तुरन्त उसे ले लिया। उपाध्यक्ष जी, मेरा दुर्भाग्य है कि वही सबसे बड़ा माफिया मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे खिलाफ लड़ाया। मेरा तो दुर्भाग्य है, मैं औरों के नाम नहीं लूंगा, कितने-कितने हैं। लेकिन आप जान जाइये कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जब चुनाव लड़ता हूँ, तब भारतीय जनता पार्टी सबसे कुख्यात अपराधी को ही मेरे सामने दूढ़कर लाती है और चुनाव लड़ती है। हम इसलिए लड़ते हैं कि अपराधी से अगर जनता में उम्मीदवार खड़े होकर मुकाबला किया जायेगा तो जनता अपराधी को वोट नहीं देगी, मैंने यह सिद्ध कर दिया। उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। उस जमाने में आपके तहसीलदार की जमानत जब्त हुई थी, जब आपके मुख्य मंत्री मुझे हराने में जुटे हुए थे, आपकी डी.जी.पी. जुटे हुए थे और चेलेंज करके गये थे। ये सब जो यहां बैठे हुए हैं, इनको जेल भेज दिया था। आठ हजार लोगों को जेल भेजा था, तब चन्द्रशेखर जी मौके पर गये थे, चन्द्रशेखर जी ने सवाल उठाया। पांच हजार लोग जेल गये, उसके बाद भी अपराधी की जमानत जब्त हुई। ऐसा नहीं है कि जनता अपराधी को वोट देना चाहती है।

ये सवाल हैं और आज हम कहना चाहते हैं कि इस देश का जो वंचित समाज था, जो गरीब समाज था, उसका इतिहास पढ़िये। पूरे हिन्दुस्तान की महिलाएं, जो पुरुषों के माध्यम से शोषित हैं, उनकी ताकत बनकर फूलन देवी आई थी, लेकिन आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही या जान-बूझकर उसकी सुरक्षा वापस ली गई हो या जान-बूझकर न दी गई हो। आपकी केन्द्र सरकार ने भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है, इसलिए इस जिम्मेदारी से आपकी सरकार नहीं बच सकती है कि जहां सबसे सुरक्षित स्थान है, जहां पर फूलन देवी की हत्या हो और अब राष्ट्रपति भवन, संसद, निर्वाचन कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फूलन देवी की एक दीवार, आप नहीं जानते हैं तो तस्वीर मंगा लें, एक दीवार है, गारद लगी हुई है। अगर आप वहां से निकलो तो देखना, मैं निकला हूँ, मैं उनके घर

जान-बूझकर गया था कि घर पर भी संवेदना व्यक्त कर देंगे और देख भी लेंगे। वहां गारद लगी है और गारद लगते हुए भी वे तुरन्त भाग गये। अब ये सवाल आ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच पूरी हो, जिससे स्थिति सामान्य हो।

आज के अखबार में यह छपा है कि जो मुजरिम है, वह 18 तारीख से 26 तारीख तक जेल में था। अब क्या सच है और क्या गलत है, यह तो आप ही जानते हैं। हमें तो वही मालूम हुआ है जो अखबारों में पढ़ा है। यदि यह ठीक है तो गुल्थी और उलझ जाएगी। हमारा मकसद फूलन देवी की हत्या से राजनैतिक लाभ उठाने का नहीं है और न ही हमने पहले कभी ऐसा किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सत्ता में आने में चाहे हमें कितनी भी देर लगे, लेकिन इस तरह से राजनैतिक लाभ हम नहीं उठाएंगे। आप राजनीति की बात करते हैं, आप बताएं कि चुनाव कब हो रहा है। आपके मुख्य मंत्री जी रोजाना चुनाव की बात करते हैं और धमकी देते हैं कि हम ही सरकार बनाएंगे। इस तरह से अगर हम लोगों पर आपके मुख्य मंत्री जी या गृह मंत्री जी नाराज हो जाते हैं तो फिर कोई भी सांसद जिंदा नहीं बचेगा। इतने गुस्से में वे बात कर रहे हैं, लेकिन हमसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमने कभी फूलन देवी के सहारे राजनीति नहीं की। फूलन देवी को जब हमने पार्टी में लिया तो वह सिर्फ एक महिला थी। उसका कोई सहारा नहीं था, कोई पैरोकार नहीं था, जबकि उधर जो डकैत थे उनको प्रदेश के मुख्य मंत्री, दिल्ली के मंत्रियों का सहारा था इसलिए इतने साल निकल गए। हमने जब उसे जेल से रिहा किया तो मैं जानता हूँ कि मुझे वोटों का कितना नुकसान हुआ था। एक वर्ग विशेष जो हमारी पार्टी में था, मेरे साथ था, वह पूरा का पूरा समाज हमें छोड़ गया। उसका लाभ आपके लोगों ने भी उठाया, जब चुनाव हुए। फूलन देवी को रिहा करने के बाद से आप कानपुर की स्थिति देख लें कि हमने वहां कितना नुकसान उठाया। इसलिए हमने कभी इसका राजनैतिक लाभ नहीं उठाया, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने क्रोध में ऐसे शब्द बोले, अमर सिंह जी ने गुस्सा जताया, आपके लोग यह कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास गुस्सा जताने के सिवा और क्या है, आपके पास तो सब कुछ है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (अलवर) : अमर सिंह जी ने किस हैसियत से कहा था ?

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : इसलिए कहा था कि दिल्ली में इतने सुरक्षित इलाके में एक सांसद की हत्या हो गई और हत्यारे दिल्ली से बाहर चले गए। इसलिए कहा था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : दिल्ली में सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले स्थान पर फूलन देवी की हत्या हो जाना, तो हम यही कहेंगे कि इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मैं इससे पहले प्रदेश में विधान सभा सदस्य रहा हूँ। आप मुझ से सीनियर हैं, उम्र में आप मुझ से बड़े हैं। आप 1970 से शायद राजनीति में आए होंगे, लेकिन मैं 1967 में ही वहां विधायक बन गया था। आप 1977 में यहां मंत्री रह चुके हैं। हमने देखा है कि अगर विधान सभा के किसी सदस्य पर कोई मुसीबत आए तो पूरा सदन एक हो जाता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। आज यह केवल समाजवादी पार्टी के सदस्य का सवाल नहीं है, सारे जनप्रतिनिधियों का सवाल है। सारे नेताओं को यह चिंता होना स्वाभाविक है कि वी.आई.पी. इलाके में, सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले इलाके में एक सांसद की हत्या हो गई और आप उसकी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारी आलोचना से अगर आप अपने को सुधार लेंगे, अपने मुख्य मंत्री के आचरण को सुधार लेंगे, तो उसका लाभ भी आपको ही होगा, हमें नहीं होगा। अगर आपने हमारी आलोचना का ठीक से पालन किया तो आपकी इमेज बनेगी। अगर धमकी देंगे, आपके सामने मुख्य मंत्री धमकी देंगे कि हम सुरक्षा में कमी नहीं करेंगे।

जिनको सुरक्षा आपने दी है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन उनको भी खतरा हो सकता है। आपके सांसदों को जिन पर बड़े-बड़े खतरे हैं, उनसे कई गुना ज्यादा आपकी पार्टी के भूतपूर्व प्रतिनिधि पर सुरक्षा है और उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ समाजवादी पार्टी के अंदर और कुछ विपक्ष के लोगों की ज्यादा सुरक्षा हटाई गई है। हमारी भी हटाई गई है। जब सारे आम लोग और गरीब लोग सुरक्षित नहीं हैं तो निजी बातों को कहकर मैं कोई हल्की बात नहीं कहना चाहता। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बताएं कि अभी तक सच्चाई क्या है और क्यों देर हो रही है। हमने ये ही कुछ सवाल पूछे हैं, आप यही बता दीजिए। आपके गृह मंत्री पद पर रहते हुए यह हत्या हुई है, आप यहीं से शुरू कर दीजिए। हमने तो ये सवाल पूछे हैं, आप यहीं से बता दीजिए। फूलन देवी एक लोकप्रिय नेता हो गई थी। हम और नेताओं के लिए भीड़ जुटाने के लिए बस और ट्रैक्टर इकट्ठा करते थे तब जनता आती थी लेकिन उसके लिए केवल लाउड-स्पीकर से मुनादी कर दो और जनता उमड़ पड़ती थी और बड़े-बड़े नेताओं की सभा से ज्यादा उसकी भीड़ होती थी। बड़े-बड़े नेताओं को ले जाइए, एक बार भीड़ हो जाती है दोबारा नहीं होती है लेकिन उसको बार-बार ले जाइए, उतनी ही भीड़ उसी इलाके में, उसी क्षेत्र में बढ़ती जाती है। वह इतनी लोकप्रिय हो गई थी और वह अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती थी। उसे हमने 11 साल तक तो बिना सजा के जेल में रख लिया लेकिन 11 साल हम बाहर जिंदा नहीं रख सके, यह अफसोस हम लोगों को है। मैं समझता हूँ कि सभी लोग पूरी सहानुभूति से, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस पर बाकायदा गंभीरता से विचार करेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी आलोचना को (व्यवधान)

डा. रमेश चंद तोमर (हापुड़) : 2 जून 1995 को मायावती जी पर किसने हमला करवाया था, कृपया इस पर भी कुछ बताने का कट करें। (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप सवाल उठाएंगे तो आपको इसका लाभ होने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

डा. रमेश चंद तोमर : इसे तो आप बता ही दें। (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Mulayam Singh Yadav's submission.

(Interruptions) *

श्री मुलायम सिंह यादव : हम तो जानते थे कि आपकी पार्टी के लोगों की मानसिकता क्या है, (व्यवधान) इसीलिए हम अब भी यही कहना चाहते हैं कि पूरे सदन को तोमर साहब से लेकर सभी को फूलन देवी की हत्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस हत्या के बाद आप और हम कोई सुरक्षित नहीं हैं। पूरे देश के अंदर दहशत है और इस सुरक्षा को वापस लेना और सुरक्षा न देना इस सरकार की जवाबदेही है चाहे वह दिल्ली सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो। (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, if the House agrees, we may not adjourn for Lunch today. After clarifications and reply of the hon. Home Minister, we may resume discussion on Agra Summit.

* Not Recorded

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : But we should adjourn for Lunch.

श्री मुलायम सिंह यादव : इस सवाल पर दो घंटे के लिए अंडरस्टैंडिंग हुई थी। संसदीय कार्य मंत्री जी थे, हम थे, चन्द्रशेखर साहब और स्पीकर साहब थे और उन्होंने कहा था कि सवाल के नाम पर हम दो घंटा देते हैं। ऐसा मत कहिए और पूछ लीजिए और अगर स्पीकर साहब कहते हैं तो मैं मान लूंगा। देखें कि संसदीय कार्य मंत्री क्या कहते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय स्पीकर साहब के साथ आपकी क्या बातचीत हुई, वह तो मुझे नहीं मालूम है। स्टेटमेंट के ऊपर कितने माननीय सदस्य हैं जिनको क्लेरिफिकेशन्स पूछने हैं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी कर लीजिए या फिर लंच के बाद समय दे सकते हैं, उसमें क्या है? (व्यवधान)

श्री शिवराज वी.पाटील (लातूर) : उपाध्यक्ष जी, मैं (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि एक अपवाद के रूप में इस सवाल पर कोई बहस करना चाहे, सवाल पूछना चाहे, स्पटीकरण चाहे तो उसके लिए पूरा समय दिया जाएगा चाहे दो घंटा लगे, ढाई घंटा लगे या तीन घंटा लगे लेकिन इस सवाल पर चर्चा पूरी तरह से होगी। मैं वहां पर उपस्थित था, इसलिए कहना अपना फर्ज समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन माननीय सदस्य जो क्लैरिफिकेशन्स पूछना चाहते हैं, उनको इजाजत जरूर दी जाएगी।

श्री शिवराज वी.पाटील : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा फूलन देवी जी के हत्या के संबंध में इस सदन में जो वक्तव्य हुआ है, उसके ऊपर प्रश्न पूछने के लिए खड़े नहीं हैं। हम यह समझते हैं कि विाय गम्भीर है और शायद इसकी चर्चा स्पीकर साहब के चैम्बर में हुई है और यह मान्य कर लिया गया है कि जितना समय इस चर्चा के लिए जरूरी है, वह समय देना चाहिए।

इस सदन में स्टेटमेंट होने पश्चात अगर कोई दूसरा अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं और उसके प्रकाश में सरकार ऐसी कोई नीति बनाना चाहती है, तो उसके लिए भी चर्चा होनी चाहिए। हम यहां पर दोगा लगाने के लिए खड़े नहीं हैं, दुःख व्यक्त करने के लिए खड़े हैं। यह भी बताने के लिए खड़े हैं कि कुछ अपनी गलतियां

रही हैं, उनमें कुछ सुधार होना जरूरी है।

फूलन देवी जी इस सदन में आईं और हम लोगों के साथ में रही हैं। उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, कितना सही था, कितना झूठ था, सभी लोगों को मालूम नहीं हो सकता है। अगर उन्होंने अपने जीवन में बहुत भुगता है, यह बात सब लोगों के सामने आई है। उनके उमर कुछ आरोप भी थे, यह बात भी आप सब लोगों के सामने आई हुई है। इस वजह से उनके जीवन में एक धोखा था, यह बात भी हम सब लोगों के सामने आई हुई है। उन्होंने सदन में किस प्रकार का बर्ताव किया, यह सब लोगों ने देखा। वे यहां आईं और इतनी शालीनता से इस सदन में उन्होंने काम किया, उसके खिलाफ कोई भी यहां पर उठकर कुछ नहीं कह सकता है। कभी भी उन्होंने इस सदन में ऐसा बर्ताव नहीं किया, जिसके लिए कोई उन पर दोष लगा सकता हो। वे बोली हैं यहां पर, उस बोलने में अर्थ था, उस बोलने में दुःख था, उस बोलने में उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं की, जिसके बारे में उनको कोई दोष लगा सकता है। ऐसी एक महिला, पिछड़े वर्ग की महिला, देहात से आई हुई महिला, भुक्तभोगी महिला, जिनके उमर बहुत आरोप लगे हैं, ऐसी महिला जिनके उमर आरोप लगे हैं, यह कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसी महिला सदन में सदस्या बनकर आईं और सदन में रहीं। एक दफा नहीं आईं, तीन दफा चुनाव लड़ा और दो बार यहां पर आईं। ऐसी महिला की जान को खतरा, यह मानने के बाद उनको जो सुरक्षा दी गई, वह पर्याप्त थी या नहीं, यह सोचना जरूरी है। उनकी हत्या हुई। यह बात बताई गई, उनको जो सुरक्षा दी गई थी, वह पर्याप्त नहीं थी, अन्यथा उनकी हत्या नहीं होती। पुलिस का एक कान्स्टेबल एक पिस्तौल के साथ उनके साथ घूमता है। इसका मतलब उनको सुरक्षा पूरी तरह से प्राप्त हुई है, ऐसा कहना गए दिनों में मुश्किल है। उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, किस प्रकार की कान्सपिरेसी होती होगी, कौन-कौन उनकी जान के दुश्मन हैं, इस बारे में इन्टेलिजेंस सरकार के पास होना जरूरी है।

यह इसलिए होना जरूरी था कि वह संसद की सदस्य थी और उनका पूर्व इतिहास है। आज हमें लगता है कि ऐसी मालूमात नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर मालूमात होती तो शायद इसे टाला जा सकता था। होनी को कभी टाला नहीं जा सकता ऐसा कहते हैं लेकिन कभी-कभी जरूर टाला जा सकता है ऐसा हमें लगता है। इंटेलिजेंस नहीं था, मालूमात नहीं थी कि कौन उनके खिलाफ इडयंत्र रच रहा है। इसलिए उनकी हत्या हुई और कैसी हत्या हुई यहां वह आती हैं, बाहर जाती हैं, दोपहर का वक्त है उनके घर के सामने दिन में चार लोग आते हैं गोलियां चलाते हैं और भाग जाते हैं। इसका पता भी नहीं चलता है। यह संसद सदस्य के बारे में हो रहा है। संसद सदस्य की जान दूसरे नागरिकों की जान से बहुत मूल्यवान है ऐसा हम नहीं कहेंगे लेकिन संसद सदस्य की जान इस प्रकार से जा सकती है तो दूसरे नागरिकों की जान को कितना खतरा हो सकता है इस बारे में लोग विचार बना सकते हैं। ऐसा विचार उनके मन में आ गया। अगर एक डर या भय की भावना निर्माण हो गई तो उसके लिए हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जब कभी हत्याएं हुई हैं महात्मा गांधी जी, इन्दिरा जी. राजीव गांधी जी की हो, माकन साहब या फूलन देवी की हो मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस की कमी की वजह से ये हत्याएं हुई हैं। अगर इंटेलिजेंस खबर देता और उसका उपयोग किया जाता तो शायद ये हत्याएं टल सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। राजीव गांधी जी की हत्या हुई और कहा गया कि एसपीजी उनकी कम कर ली गई। यह कहा जाए कि उन्होंने हमसे मांगी नहीं, यह बात गलत है। कोई भी आदमी नहीं मांगेगा। हम जानते हैं कि सरकार में बैठे हुए हमारे कुछ साथी हैं उनकी जान को खतरा है। अगर आप पूर्व प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा कम कर लेंगे तो वह आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि मुझे सुरक्षा दीजिए। मगर यह सवाल सिर्फ पैसे की तराजू में तोला जा रहा है। कितने करोड़ों रुपए सुरक्षा के ऊपर खर्च होते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। मगर ऐसे किसी की जान जाने पर हमारी हिम्मत कितनी कम हो जाती है और लोगों के मन में कितना डर पैदा हो जाता है तथा हमारी सुरक्षा के बारे में हम लोगों के और बाहर के लोगों के कैसे विचार बनते हैं, इस दृष्टि से कमी नहीं देखा जाता। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं, हमने पेपर में पढ़ा कि उनकी सुरक्षा कम कर दी गई। वह किसी से मांगने नहीं जाएंगे, मगर यह जरूरी होगा, हमें जरूरी होगा, इस सरकार को, सदन को, देश को जरूरी होगा कि उनकी जान को खतरा न हो। इसलिए सिर्फ पैसे की दृष्टि से न देखते हुए, जो सुरक्षा देना जरूरी हो वह देनी चाहिए और वह इसलिए देनी चाहिए कि पूर्व प्रधान मंत्री, देश के बड़े से बड़े महात्मा गांधी जी जैसे नेता भी मारे गए। इंटेलिजेंस नहीं होने की वजह से, सुरक्षा नहीं देने की वजह से वे मारे गए और फूलन देवी जी भी इसलिए मारी गई। मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूँ, जान सब की एक जैसी है, मगर यह जरूरी है इसलिए इस पर हमें सोचना चाहिए। इस दृष्टि से इस ओर देखना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है।

महोदय, मैं इसलिए यहां बोलने के लिए खड़ा हूँ, मुझे लगा कि इस संबंध में बोलना चाहिए। फूलन देवी जी के बारे में लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, मगर मैं सदन में आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूँ कि उनका यहां जो बर्ताव था, उसे देखने के बाद मेरे मन में उनके लिए आदर के सिवा दूसरी कोई भावना नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत भुगता था। तीसरी बात यह है कि उनकी शायद अन्याय के खिलाफ लड़ने की इच्छाशक्ति थी और उन्होंने इसलिए बहुत भुगता। जीवन और मृत्यु, दोनों जगह उन्होंने भुगता है। इस चीज को ध्यान में रख कर सिर्फ फूलन देवी जी के बारे में ही नहीं, इस सदन के जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में भी है। मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, दूसरी या तीसरी बार कह रहा हूँ।

देश के लिए आज लड़ाई से ज्यादा खतरा टैरिज्म से है। आज खतरा देश में बढ़ते छोटे-छोटे, नये-नये किस्म के हथियारों से ज्यादा है। आज पुलिस के पास संचार की सुविधा उतनी नहीं है जितनी की टैरिज्म फैलाने वालों के पास है। फूलन देवी जी के पीएसओ के पास शायद सेलूलर फोन भी नहीं था लेकिन जिन्होंने उन्हें मारा उनके पास कम्यूनिकेशन के साधनों की कोई कमी नहीं थी। सरकार को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। अगर इस दृष्टिकोण से सरकार ने इस समस्या को नहीं देखा तो हम ऐसे ही जाने गंवाते रहेंगे और इसका असर हमारी सुरक्षा, हमारी हिम्मत और हमारे दृष्टिकोण पर हुए बिना नहीं रहेगा।

फूलन देवी जी को हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। इतिहास उनको याद रखेगा, समाज और यह संसद उनको याद रखेगी कि एक गांव की महिला ने किन-किन परिस्थितियों में क्या-क्या सहन किया, कैसे उन्होंने जीवन जीया और कैसे वह मरीं। उनके प्रति वहां के लोगों में पूरा सम्मान था। अगर ऐसा न होता तो वहां के लोग उन्हें दो बार चुनकर संसद में न भेजते। हम लोग अपने-अपने मापदंडों से जीते हैं और अगर कोई हमारे जैसा नहीं होता तो कह देते हैं कि वह अच्छा नहीं है लेकिन जनता का प्यार और दूसरे लोगों द्वारा दिया गया सम्मान व्यक्ति के बारे में सही बताता है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। मैं उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि जिसको भी आपको सुरक्षा देने की जरूरत है उसको अवश्य ही सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा को पैसे की तराजू में तोलना सरकार के लिए ठीक नहीं है। जब ऐसे किसी जनप्रिय व्यक्ति की जान जाती है तो जनता में यह संदेश जाता है कि हम आम आदमी की रक्षा क्या करेंगे जब ऐसे व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, we may have to adjourn for at least half-an-hour for lunch. So, the House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

1348 hours

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty minutes

past Fourteen of the Clock.

1430 hours

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at thirty minutes

past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will continue the discussion. Hon. Members may seek only clarifications. We will have to conclude the discussion on Agra Summit also.

Dr. Girija Vyas to speak.

14.31 hrs.

DR. GIRIJA VYAS (UDAIPUR): Sir, I will take only five minutes.

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य फूलन देवी जी की हत्या पर आया, उससे ऐसा लगता है कि केवल औपचारिकता का निर्वहन किया गया। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली और यहां तक अपनी जुबान से सब बात कहने वाली फूलन देवी की निर्मम हत्या सबसे अधिक सुरक्षित स्थान पर इस प्रकार हो जाएगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। कभी-कभी लगता है कि पैराडॉक्स और आयोरनी की कहानी दोहराई जा रही हो। वह अनेक बार एनकाउंटर में भिड़ी। वह बीहड़ों में रहीं। फूलन देवी जी ने अनेक बार असुरक्षित स्थानों पर ही नहीं, असुरक्षित एनकाउंटर का भी मुकाबला किया लेकिन वहां उनकी हत्या नहीं हुई। उनकी हत्या ऐसी जगह हुई, जहां वह चुनकर आई, जिसे सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। सबसे सुरक्षित स्थान जहां वह रहती थीं, वहां दिन-दहाड़े उनकी हत्या होना एक प्रश्न सूचक दृष्टि डालने पर मजबूर करता है। मैं उस दिन की बात कहना चाहती हूँ जिस दिन उनकी हत्या हुई। उस दिन वह मुझे 12 बजकर 25 मिनट पर मिलीं। उसके बाद वह सुमा जी से मिली, बूटा सिंह जी से मिली और सम्भवतः पाटील साहब से मिली। वह जैसे कुछ कहना चाह रही हो, ऐसा लग रहा था। हम उस समय लाइब्रेरी जा रहे थे। हमने उनसे कहा कि लौट कर आने पर बात करेंगे। हमारे मन में एक पीड़ा हो रही है। मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा कि वह स्थान मुझे आज भी मालूम है, जहां से खड़े होकर उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। वह स्थान जहां वह बैठती थीं, वह इस बात की कहानी सदन को बताता रहेगा, जहां उन्होंने अपनी सुरक्षा की बात की थी। वहां एक ऐसी महिला बैठती थी चाहे उन्हें कुख्यात कह दिया हो लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। मुझे वह दिन याद है जब संसद की सीढ़ी पर वह अकेले बैठी थीं। उस दिन जब फूलन देवी जी ने सुरक्षा की आवाज उठाई और कहा कि मैं कहीं से सुरक्षित नहीं हूँ, उस दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुला कर कहा था कि मुझे आज भी लगता है कि मैं औरत हूँ और सुरक्षा की भीख मांगती खड़ी हूँ। उस दिन सदन स्तब्ध हो गया था जब दादा बोल रहे थे और बीच में मुंशी जी ने यह खबर सुनाई। सरकारी पक्ष के लोगों ने भी कहा कि हमने भी ऐसी खबर टेलीविजन पर सुनी है। बाद में माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में आकर इस बात की पुष्टि की थी लेकिन उस वक्त सब स्तब्ध थे। इसके साथ-साथ सब के दिल में क्रोध और भय व्याप्त था। मुझे अनेक सांसदों ने कहा कि हम अपने घर के दरवाजे खुद खोलते हैं क्योंकि हम सर्वेन्ट नहीं रख सकते। यहां सुरक्षा का दूसरा कोई स्थान नहीं है। कोई घर की घंटी बजाता है तो हम ही दरवाजा खोलते हैं। उस समय हम सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? अपने निर्वाचन क्षेत्र में हमारे वर्कर रहते हैं। वहां सुरक्षा की थोड़ी बहुत व्यवस्था है लेकिन सांसदों के लिए असुरक्षित स्थान

कोई हो गया है तो वह केवल दिल्ली हो गया है। जब आईएसआई की गतिविधियां लाल किले तक पहुंच जाएं तो सांसद सुरक्षित कैसे रह सकते हैं?

इसलिये इस भयावह स्थिति से निपटने के लिये हम समस्त संसद सदस्यों को चिन्ता करनी होगी। आज के राजनैतिक दौर में जब छोटी-छोटी बातों पर लोग एक-दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गये हैं, उस वक्त यदि छोटी सी बात को लेकर कोई संसद का दरवाजा खटखटाता है या संसद की सीढ़ियों पर या रास्ते में उसकी जान ले ले लेकिन उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यह बात सही है कि कुछ लोगों ने स्टेटस सिम्बल के कारण सुरक्षा व्यवस्था लेनी चाहिए है या लेने का प्रयास कर रहे हैं और इस हेतु एन.एस.जी. या एस.पी.जी. द्वारा पूरी जानकारी ले ली गई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन सब के बावजूद उसको सुरक्षा न देना कहां तक उचित है? यही बात श्रीमती फूलनदेवी के बारे में सही है। इसलिये कि मैं उसकी गवाह हूँ और इस बात से इनकार करती हूँ कि उ.प्र. के मुख्य मंत्री कहते हैं कि उन्होंने अपने लिये कभी सुरक्षा नहीं मांगी। वह बार-बार सुरक्षा की गुहार कर रही थी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि आई.बी. की रिपोर्ट कितनी सत्य होती है जिसके आधार पर सुरक्षा मिल जाती है। मेरे साथ भी इसी तरह का एक हादसा पिछले साल हुआ था। मैंने कुछ साम्प्रदायिक पार्टियों के संबंध में एक बयान दिया था जब मैं पार्टी की स्पोक्सपरसन थी। मेरे घर पर तोड़-फोड़ हुई थी। उसके बाद मुझे सुरक्षा व्यवस्था मिली लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आवाज को सुनकर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है? इस हत्या के संबंध में कई संशय लोगों के मन में हैं जिनका निवारण आवश्यक है। केवलमात्र कुछ लोगों के पकड़े जाने से इस हत्या का समाधान नहीं हो जाता। इस संबंध में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिये। लेकिन सबसे बड़ा विचारणीय बिन्दु यह है कि फूलनदेवी की हत्या या उनकी असामयिक मृत्यु को बाद सबसे सुरक्षित स्थान में सबसे सुरक्षित व्यक्ति असुरक्षित है तो इस सुरक्षा का मापदंड क्या होगा और आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, उग्रवादी और आतंकवादी जब दिल्ली जैसे स्थानों पर अपना जाल फैलायेंगे तो उसमें कौन सुरक्षित रह पायेगा। सरकार को आई.एस.आई. की गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगानी होगी। संसद सत्र चलते किस प्रकार से ऐसी हत्या हो जाती है लेकिन हम लोग असुरक्षित स्थल को सुरक्षित नहीं बना पाये तो हम क्या कर पायेंगे? इसलिये आज मैं समस्त सांसदों की तरफ से यह अपील करना चाहती हूँ कि जब सांसद सुरक्षित नहीं हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये, सुरक्षा ढांचे में परिवर्तन किया जाये, सुरक्षा देने के मामले में भी फेर-बदल किया जाये। तभी हम सही मायनों में श्रीमती फूलन देवी को श्रद्धांजलि दे सकेंगे जो बिना वजह, किन्ही कारणों से हत्या का मोहरा बन गई।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती फूलन देवी की जिस तरह से हत्या की गई है, वह हम सब के लिये अत्यंत लज्जाजनक और दुख की बात है। संसद के अधिवेशन चलते संसद से एक किलोमीटर व्यास के अंदर दिन के डेढ़ बजे उनके घर के सामने हत्या हो जाये, उसके बारे में गंभीरता से सोचे जाने के लिये हमारे लिये ही नहीं बल्कि सारे देश के लिये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे सबसे बड़ी हानि यह हुई है कि देश के लोगों में एक असुरक्षा की भावना पैदा होगी। जब सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली राजधानी के अंदर लोगों की जान का खतरा हो सकता है और दिन-दहाड़े हत्या हो सकती है तो फिर एक आम आदमी अपनी सुरक्षा कैसे कर सकेगा? सवाल यह नहीं कि हम डरे हैं या नहीं, हम घबरायें हैं या नहीं लेकिन हमारे मन में यह सवाल है कि अगर शोषित, उपेक्षित समाज की महिला इस तरह से मौत के घाट उतारी जाये तो उन लोगों के बीच में कितनी दुखद भावना पैदा होगी? आज जब श्री मुलायम सिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने अपने ऊपर बहुत बड़ा संयम रखा। वे जिस गंभीरता से अपनी बात रख रहे थे, यदि सरकार उस पर सोचे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोग मौत को साधारण घटना समझ लेते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मौत क्षणिक होती है और जीवन अन्त है जो चलता ही रहेगा।

कोई आज मरेगा कल फिर पैदा हो जायेगा, यह दर्शन बहुत अच्छा है। लेकिन समाज को चलाने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, जो समाज की सुरक्षा का जिम्मेदार है, उसकी भावना दूसरी होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरी आवाज का कोई इस सरकार के वरिष्ठ लोगों पर नहीं होगा। उनके मन में ऊंची भावनाएं हैं, वे उच्च विचारों के लोग हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उन्नत शिखरों पर पहुंचे हुए लोग हैं। साधारण लोगों की मौत, साधारण लोगों का मान-अपमान उनके लिए नगण्य हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बारे में भी कुछ लोगों ने कहा। आपसे हमारा बहुत पुराना परिचय है। मैंने जिदंगी के बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं। बहुत बड़े-बड़े लोगों को उन कुर्सियों पर बैठे हुए देखा है। बहुत लोगों को अभिमान से लोगों के बारे में अपमानजनक व्यवहार करते हुए देखा है। मैं 1962 में इस संसद में आया था, आज 2001 है। कोई भी उस कुर्सी पर बैठा हुआ, अभिमान से, गर्व से अपने सिर को उन्नत करने वाला मुझे ऐसा नहीं मिला जो बाद में आकर मेरे ही सामने आंसू बहाने के लिए मजबूर न हुआ हो। बदलती हुई दुनिया है। आंसू आज मुलायम सिंह बहा रहे हैं, आंसू आज फूलन देवी के परिवार के लोग बहा रहे हैं, उनके क्षेत्र के लोग बहा रहे हैं। लेकिन ये आंसू गरीब के आंसू हैं, बेबस के आंसू हैं। गरीब और बेबस का आंसू जब बहता है तो आग बनकर बड़े-बड़े महलों को जला देता है, कहीं ऐसा न हो जाए। मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपके जरिये गृह मंत्री जी से कहूंगा कि इस मामले को जरा ज्यादा गम्भीरता से लें तथा जो भी अपराधी हों उन्हें सजा देने का प्रयास करें। मैं और ज्यादा कुछ न कहकर यही कहूंगा कि उनकी याद इस संसद में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि अपनी तरह की यह पहली घटना है। हमारे मित्र ने कहा था कि माकन के साथ यही हुआ था। लेकिन वह संसद भवन की सीमा के अंदर नहीं हुआ था, संसद भवन की सीमा के अंदर के बारे में कहा जाता है कि तीन हजार सिपाही चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े रहते हैं। उसके बाद भी इस तरह की हत्या हो जाए और हम चुपचाप देखते रहे, इससे बड़ी लज्जाजनक बात और नहीं हो सकती है। हमें इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती फूलन देवी की हत्या पर हमारी पार्टी को गहरा दुख है और हमें श्रीमती फूलन देवी की हत्या पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि उनकी हत्या का मुख्य कारण क्या था। हालांकि दिल्ली की क्राइम ब्रांच उनकी हत्या की इनवैस्टीगेशन कर रही है, जांच रिपोर्ट आने से पहले यह कहना बड़ा मुश्किल है कि उनकी हत्या के पीछे क्या साजिश थी। साजिश का पर्दाफाश तो जांच रिपोर्ट के आने के बाद होगा। लेकिन सोचना यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है और संसद के नजदीक जहां श्रीमती फूलन देवी का निवास स्थान था, उसके आसपास वी.आई.पी. लोग रहते हैं तथा पुलिस महकमे के दो बड़े अधिकारियों के रेसीडेन्स भी उनके निवास स्थान के नजदीक हैं। जिस प्रकार से श्रीमती फूलन देवी की हत्या संसद के नजदीक हुई है, उस पर हमें सोचना होगा कि हत्या करने वाले अपने मकसद में कैसे कामयाब हुए। क्योंकि यदि उनके निवास स्थान पर प्रोपर सुरक्षा प्रबन्ध होता तो मैं समझती हूँ कि कातिल लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते,

श्रीमती फूलन देवी के राजनीतिक जीवन के बारे में सोचने से पहले हमें इस बात की तरफ भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि जब वह राजनीति में आईं और राजनीति में आने से पहले का जो उनका इतिहास रहा है, जो भी उन्होंने रास्ता अपनाया, किन परिस्थितियों में उन्होंने वह रास्ता अपनाया, उसके लिए केवल श्रीमती फूलन देवी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए समाज भी जिम्मेदार है।

इस अनहोनी को टाला जा सकता था यदि उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार उनके पास्ट को ध्यान में रखते हुए यदि सुरक्षा का पूरा प्रबंध करती, तो मैं समझती हूँ कि कातिल लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। खास तौर से जिनका अपना स्ट्रगल वाला इतिहास है या ऐसे लोग जो बहुत स्ट्रगल करके राजनीति में आए हैं, हालांकि स्ट्रगल किसी भी तरह का हो, लेकिन जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा है तो उनके इतिहास को ध्यान में रखते हुए, उनके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए सरकार को उनकी सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए था और जो भी एमपी हैं या और भी ऐसे वीआईपी हैं जिनको काफी धमकियां आती हैं, जान का खतरा होता है, उनको जो सिक्यूरिटी प्रदान की जाती है, उसके लिए जो ग्रेट असेसमेंट जांच कमेटी होती है और उसके आधार पर जो आईबी की रिपोर्ट आती है, उसमें आईबी की रिपोर्ट को आप आंख मूंदकर मान लेते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर हम यह सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इतनी कटौती कर रहे हैं

इतनी बढ़ा रहे हैं। यह जो तौर-तरीके हैं, केवल आईबी की रिपोर्ट पर हम फैसला ले लें, इसमें भी हमें कुछ तब्दीली करनी होगी ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

कल माननीय गृह मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि राजनीति में जो अपराधीकरण तेजी से बढ़ा है, उसको सबको मिलकर रोकना चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं, हम इसका स्वागत भी करते हैं लेकिन केवल कहने से काम नहीं चलेगा। हर पार्टी को अपने गिरहबान में झांककर देखना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि राजनीति में जो अपराधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, कई हद तक उसके लिए पोलिटिकल पार्टीज़ भी जिम्मेदार हैं और दूसरी तरफ उतना ही उनको इलेक्ट करने वाला समाज भी जिम्मेदार है। यदि पोलिटीशियन्स गंभीरता से नहीं सोचते हैं राजनीति में अपराधीकरण को समाप्त करने के बारे में, तो समाज को सोचना चाहिए। कल जो बात आपने कही है, वह अच्छी बात है और यदि सारी पार्टियां इस पर अमल करें तो इस किस्म की हत्याओं को रोका जा सकता है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि श्रीमती फूलन देवी की जो हत्या हुई है, उसमें सबसे पहले जो हत्यारा पकड़ा गया श्री शेर सिंह राणा, उसने कहा है जो अखबारों में छपा है कि फूलन को मारकर मैं आगे चलकर किसी भी ठाकुर बहुल क्षेत्र से एमपी चुनकर आऊंगा। यदि इस किस्म के विचार होंगे तो उससे आज किसी को भी खतरा हो सकता है। इन बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए और मैं समझती हूँ कि यदि सारी पार्टियां गंभीरता से सोचें जिससे श्रीमती फूलन देवी की हत्या हुई है तो इस अनहोनी को टाला जा सकता था। खास तौर से उनको सिक््यूरिटी प्रदान करने में सरकार से जो लापरवाही हुई है सरकार को इस पहलू के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि यदि उनके रेजिडेन्स पर बराबर सिक््यूरिटी का अरेन्जमेंट होता क्योंकि उनके घर के बाहर कार खड़ी रही, उसमें तीन आदमी मुंह ढककर बैठे रहे। वह इंतज़ार कर रहे थे कि कब फूलन देवी आएंगी, गाड़ी से उतरें और हम उन पर गोली चला देंगे, उनकी हत्या कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, उस वी.आई.पी.इलाके में वह गाड़ी काफी देर तक खड़ी रही, वे ताक में थे कि कब फूलन देवी आए, लेकिन आपका इंटैलीजेंस क्या कर रहा था? वह वी.आई.पी.इलाका है। आपको मालूम है कि कारगिल के इलाके में हमारे फोर्स के काफी आदमी मारे गए, उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण इंटैलीजेंस की फेल्योर थी। यदि हमारी सीमाएं बराबर सेफ होतीं, यदि हमारी इंटैलीजेंस सीमा की बराबर रिपोर्ट देती और यदि सेंटर की सरकार बराबर अलर्ट रहती, तो कारगिल में हमारे लोग नहीं मारे जाते। इसलिए यह सुझाव का पहलू है। यह पहलू पालिटिशियन का है, यह आम जनता का है क्योंकि इससे आम जनता का मामला भी जुड़ा हुआ है। जब पार्लियामेंट के नजदीक, वी.आई. पी. इलाके में एक मੈम्बर आफ पार्लियामेंट सेफ नहीं रह सकती है, तो आम जनता के साथ क्या होगा, इसका अनुमान बहुत आसानी से लगाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि वे इंटैलीजेंस के मामले को भी देखें और उसे जितना चुस्त-दुरुस्त करने की जरूरत है, वह करें और वी.आई.पी. लोगों को जो भी सिक््योरिटी देनी है, उसके लिए जितनी जरूरत है, वह दलगत राजनीति से उम्र उठकर उन्हें दिए जाने का निर्णय लिया जाना चाहिए। इस प्रकरण में जांच कमेटी की रिपोर्ट तो जो होगी, वह होगी, उसका जो होगा वह अदालत में होगा, लेकिन सिक््योरिटी प्रदान करने के मामले में जो लापरवाही हुई है, इससे सबक सीखकर, आगे के लिए जो कमियां रहने वाली हैं उनको दूर किया जाए और आगे कोई ऐसा अनिट हो, उसको रोका जा सकता है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it has been quite a traumatic experience, I believe, for all of us about what happened on the 25th July, 2001. I remember, I was on my legs, while taking part in the discussion on Agra Summit when this tragic news came to the House.

Sir, I wish to pay my respects to the memory of Shrimati Phoolan Devi who had become, in her lifetime, the very embodiment of struggle against oppression and social injustice and who achieved remarkable progress in her life by getting the support of the people of her constituency more than once. She became, by dint of her public service, a Member of this hon. House. It is not a mean achievement.

I wish the seriousness of her brutal killing had been properly reflected in the Statement of the hon. Home Minister. But it seems to be a rather stereotyped Statement. As a matter of fact, the Statement does not, to my mind, reflect the seriousness of the situation.

Sir, it seems that Phoolan Devi could survive her ordeals in the Chambal Valley but she had to pay for her life in the heart of the capital of India. It seems that the law of jungle is not in the Chambal Valley but in New Delhi.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I do not wish to raise all the issues that have been there over the territories or areas. But certain questions arise. As just now said by Kumari Mayawati, what is the security perception here in this area?

To find out whether there was a security lapse or not, a lot of investigation is not necessary. It seems that a car was waiting there. From the statement, it appears that the assailants were wearing masks and six bullets were fired. She was killed on the spot. The most amazing thing is that those 2-3 persons could get away in a car, change the car very near, get into an auto-rickshaw and they could not be apprehended. The Government is claiming the credit for that. But Sher Singh Rana himself surrendered. Even in Dehra Dun, he was not caught. It depended on his sweet-will that he was apprehended. The police have failed.

I agree that I have always been saying that since we are Members of Parliament we should not be given personal security or special security, etc. Everyone in the country should be safe. But there are so much restrictions while we enter Parliament House and there are so much restrictions at so many other places. We submit to that and I have no objection to that, because precaution should be taken.

But what was the perception of the Government about danger here? What steps have been taken? Is it the failure of Intelligence only? I am sure, it is one of the busiest roads of the Capital, near Parliament House. Almost the next door is Election Commission's Office and two buildings later, we have the main General Post Office in this Capital City of India. But this is how anybody can walk in, wait for hours, put mask, kill anybody and walk away, and nobody is able to find out that. This is a very serious position.

This has given rise to more sense of insecurity. When we refer to a Member of Parliament getting killed in this

manner, it shows that there is total collapse of the security system or the law and order system in this part of the city. Elsewhere also this may be happening with greater regularity.

Therefore, I request the hon. Home Minister to tell us what is the general precaution that is taken in this area for protection of lives of people who are here, specially. We know that the UP Chief Minister's residence is nearby; I think, it is one house apart or the adjoining house. There are Black Cats there. He had security people there. The Home Minister has said in his statement that:

"In addition to three plain clothes personal security officers functioning round-the-clock, the UP Government had provided one armed police personnel for her security."

I take it that it is the case in U.P. If the U.P. Government thought that she needed armed police personnel, then was such armed police personnel provided here in Delhi? Then, what is the good of his reference to that? If in UP she was in greater danger, was she not in danger in Delhi? So far as we have been able to find out, only plain-clothes personal security was there. Why was there no armed police personnel to protect her?

The question that arises very much is this. I was a little taken aback. The hon. Home Minister has referred to criminalisation of politics. Of course, this has become the bane of our public life. We have seen the Vohra Committee Report. We have discussed it on the floor of the House. I am sure, Shri Advani participated in that, probably. We had known of it. We had discussed it. We are only talking about it. I do not know what action the Government has taken in the last three years, at least.

15.00 hrs.

Why in this case a reference has been made to criminalisation of politics? Is according to the Government, Shrimati Phoolan Devi a victim of it or is it because of the past which she had changed? I must say, it is a remarkable saga of great fortitude, great transformation, one of the finest chapters in the history of our country that the commonest of common people in this country, who had to go on hiding for the purpose of avenging the great dishonour that had been deliberately caused on her, had a total turn around in her career and came to this House. Was she being treated as a criminal so that someone should gun her down? I would like to know from the Hon. Home Minister, whether he considers this a law and order matter or a matter of political vendetta when this reference has been made to criminalisation of politics so far as Shrimati Phoolan Devi is concerned. A dastardly crime in the broad daylight was committed but not a head has rolled till now. So far as her case is concerned, why has there been a reference to criminalisation of politics? This is not a solitary instance. As I said, the whole country is quite concerned about it. This is not the first time such a reference is being made. A reference to it was made while we were discussing about the electoral reforms. Advani-ji knows about it. (Interruptions) Therefore, Sir, I would like to know whether the Home Minister considers this as a law and order issue or as an issue where political rivalry or vendetta is involved or is someone obliterating a Member of Parliament who has had some criminal past. This is a very-very serious matter. I would like to have clarifications from the hon. Home Minister.

Let us not try to dilute the achievements of our former colleague. We are proud of her achievements and I salute her courage. She had shown how from the lowliest of low levels one could come up to this level. She rightly deserves the admiration. Let us not belittle it with whatever we say or do in connection with the brutal end that she has met, I believe for no fault of hers. These are matters which need to be clarified.

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पहले तो अपने व्यक्तित्व की विचित्रता के कारण भारत में ही नहीं, विश्व में अपना स्थान बनाने वाली श्रीमती फूलन देवी जी के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ।

यह वह महिला है, जिसने जीवन के विभिन्न आयाम देखे हैं, विभिन्न उतास-चढ़ाव देखे हैं और जीवन की विभिन्न शैली को जिया है। सामाजिक कुरीतियों, विडम्बनाओं और अपराधों का खुलकर सामना करते हुए जिस महिला ने अपने जीवन को सार्वजनिक क्षेत्र में लाकर खड़ा किया हो, वह निश्चित ही इस सब के लिए एक आदर्श परन्तु विचारणीय महिला हो सकती है। हम जानते हैं कि हमारे अतीत में अनेकों उदाहरण हैं, जब हमने देखा है कि अपराध से विमुख होकर लोग सन्त हुए हैं, कवि हुए हैं, साधक हुए हैं और सार्वजनिक जीवन में बड़ी पवित्रता का आदर्श उपस्थित किया है। फूलन देवी उसी रास्ते पर चल रही थीं। परिस्थितिवश जिन परिस्थितियों का जाल उनके चारों ओर बुना गया था, वही उनकी मौत का कारण भी बना। वे एक अशिक्षित परिवार में पैदा हुई थीं और स्वयं भी अशिक्षित थीं। अपने जीवन के कैशोर्य में ही, जब उनकी अल्पायु थी, छोटी उम्र थी, जब जीवन का बसन्त पूरी तरह खिला भी नहीं था, उस समय उनके जीवन पर वज्रपात हुआ और उसकी प्रतिक्रिया जिस तरह से उस महिला ने व्यक्त की थी, उसका कोई इतिहास में उदाहरण मिलना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसी एक आदर्श जिन्दगी, ऐसी एक संघर्शील जिन्दगी जीने वाली वह महिला आकर एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गई थी, जहाँ से वे एक शालीनता और संयम का जीवन जीना चाहती थीं मैं उसी दिन की एक घटना का चर्चा करता हूँ, वे अनेकसी जाने के पहले इसी लॉबी में जयवन्ती बेन मेहता से बात कर रही थीं,

मैं वहीं खड़ा था। वह जयवन्ती जी से कह रही थीं कि दीदी मैं सोमनाथ जाना चाहती हूँ। जयवन्ती जी ने कहा कि अभी तो सत्र चल रहा है और अभी आपकी उम्र बड़ी छोटी है, सोमनाथ की चिंता क्यों कर रही है, सोमनाथ के दर्शन बाद में कर लेना। उन्होंने कहा कि नहीं मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता, तो जयवन्ती जी ने हंस कर कहा कि स्वामी जी के आश्रम में क्यों नहीं जाती हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी का आश्रम हमारे लिए खुला हुआ है जब भी चाहेंगी चली जाऊँगी। इस तरह की सोच जिसकी जिंदगी में उस समय रही हो, प्रायश्चित की मनःस्थिति में जो जी रहा हो, अपने अतीत को भूलना चाहता हो, अपने अतीत से अलग होना चाहता हो। हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे कि जब कभी जेल की बात आती थी तो वे उससे घबरा जाती थीं। जेल की त्रासदी उनको कभी भूली नहीं थी। ऐसी मनोवैज्ञानिक लड़ाई वे

अपनी जिंदगी में लड़ती रहीं। लेकिन उनको जो चाहिए था समाज में, वह इस समय भी उन्हें नहीं मिल रहा था। जैसे उनकी वकील के बयान अखबारों में आ रहे हैं, जिस तरह परिवार के सम्बन्धों की बात आ रही है, उन सबको देखते हुए लगता है कि वे एक अलग तरह की जिंदगी की लड़ाई फिर लड़ रही थीं। ऐसी स्थिति में उनकी हत्या हम सबके लिए, इस सदन के लिए, पूरे देश के लिए और शायद मानवीय दृष्टि से सोचने वाले पूरे समाज के लिए एक दुख का विषय हो सकती है।

वह एक ऐसे अति पिछड़े वर्ग से आती थीं, जो आज भी उत्तर प्रदेश में अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत नहीं कर सका है। सामाजिक पिछड़ेपन की त्रासदी वह पूरा का पूरा वर्ग झेल रहा है। उस वर्ग की वे लड़ाई लड़ रही थीं। उस वर्ग का नेतृत्व उनके पास अनायास ही पहुंच गया था। वे सब उनके साथ जुड़ गए थे। आश्चर्य तो यह है कि वे रहने वाली उत्तर प्रदेश की थीं, चुनाव वहीं से लड़ती थीं, लेकिन उनकी मृत्यु का ताना-बाना बुना जा रहा था उत्तरांचल में, रुड़की में और हरिद्वार में। अब समझ नहीं आता है कि उत्तरांचल, हरिद्वार और सहारनपुर उनकी जिंदगी से कैसे जुड़ गये। जैसे बात की जा रही है, मैं समझता हूँ कि वोहरा समिति की बात जो अभी दादा सोमनाथ जी ने उठाई है, वह सही समय पर उठाई गई है। यह समिति 9 जुलाई 1993 में गठित की गई थी। आज आठ साल हो गए हैं। पांच अक्टूबर, 93 को उस समिति की रिपोर्ट आ गई थी। उसमें कहा गया है, जो मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ।

"An exclusive task of it shall be to establish in the IB to function as the nodal group for receipt of inputs from various security and revenue agencies which would reveal a politician-bureaucrat-underworld nexus."

लेकिन आठ वां तक उस दिशा में कुछ नहीं हुआ। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि आज का अपराध केवल अपराधियों का ही नहीं, यह समाज में केवल उनके बल पर ही नहीं है, उसके लिए कई रास्ते खुलते हैं। राजनैतिक संरक्षण अधिकारियों से उनके रिश्ते भी कारण हैं। यह चीज 1993 में सामने आई थी। 1993 में दादा सोमनाथ जी ने अभी बताया कि बहस हुई थी। उस समय मैं भी सदन का सदस्य था, लेकिन मुझे याद नहीं कि इस तरह की कोई बहस हुई थी या नहीं। लेकिन उस समय कोई एक्शन तो लिया गया होता। मैं देख रहा था उस दिन जब श्रीमती फूलन देवी की हत्या हुई थी तो जी टी.वी. पर एक चर्चा चल रही थी। उसमें एक तरफ दासमुंशी जी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व डी.जी.पी. प्रकाश सिंह जी बैठे हुए थे। प्रकाश सिंह जी से जब यह सवाल पूछा गया कि वी.वी.आई.पी. एरिया में यह हत्या हुई, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजनैतिक सम्बन्ध अपराधियों से बन रहे हैं, उससे अपराधियों का आना-जाना कहीं तक भी हो सकता है। यह बात सही है। अगर हम अपराधकर्मी हैं, संसद में चुन कर आ गए हैं तो हमारे पास मिलने वाले जो आएं, उनको कोई पुलिस नहीं रोक सकती। पुलिस के बस में भी रोकना नहीं है। यह बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि समाचार पत्रों में यह आ रहा है कि उस व्यक्ति ने फूलन देवी का विश्वास जीता था, उनकी सरलता का नाजायज फायदा उठाया था। क्या यह सच नहीं है कि हत्या के दिन उसी व्यक्ति की कार में बैठ कर वे संसद आई थीं और (शमशेर सिंह राणा) उसी ने कार चला कर उनको संसद भवन तक पहुंचाया था। अगर उसने उस परिवार का विश्वास न जीता होता, घर में न बैठा होता, कौन है उमा कश्यप, कौन है विजय कश्यप, यह सवाल आता है। जब ये सवाल आते हैं तो इनके सम्बन्ध किन राजनैतिक दलों से है ? आज अखबारों में आया है कि किसी विधायक ने उन लोगों को राजनैतिक संरक्षण दे रखा था। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे कौन थे, किस पार्टी के विधायक थे, जिन्होंने उनको संरक्षण दे रखा था ? राजनैतिक दलों से इनके सम्बन्ध थे या नहीं, अगर थे तो वह कौन से दल हैं ?

उन संबंधों की जानकारी क्या उन राजनीतिक दलों के नेताओं को नहीं थी या फूलन देवी जी को नहीं थी? सवाल यह था कि विश्वास जीतकर घर में दुश्मन बैठा हुआ हो तो कोई बाहर की सुरक्षा व्यवस्था बाहर से आने वाले दुश्मन को तो रोक सकती है लेकिन घर में ही दुश्मन पैदा हो जाये, विश्वासघात हो जाये तो क्या होगा ? बात वीवीआईपी एरिया की नहीं है, बल्कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि माननीय इंदिरा गांधी जी की हत्या उस अंगरक्षक ने की थी जो उनके घर में बैठा था। यह विश्वास के साथ किया गया छल है। यह किसी भी सरकार के बस का सवाल नहीं है। क्या हम यह कह सकते हैं कि जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी तो मानव बम बनी वह महिला जो प्रणाम करने के बहाने आई थी पैर छूने आई थी क्या बिना विश्वास जीते वह ऐसा कर सकती है? यह तो विश्वास के साथ जब छल होता है तब ऐसा होता है। इसका उपाय ढूँढना मुश्किल होता है यह विश्वास जीतकर अपराध करने की प्रवृत्ति कहां से आ रही है, कौन संरक्षण दे रहा है इस प्रवृत्ति को? इन सवालियों का जवाब आना चाहिए। यह सदन के लिए दुर्घटना नहीं है, कोवल चिंता की बात नहीं है बल्कि यह एक चुनौती है। क्या वजह है कि राजीव गांधी जी की हत्या चुनावों के दौरान हुई? माननीय इंदिरा गांधी जी की हत्या चुनाव के तुरंत पहले हुई? चुनाव कहीं न कहीं हत्याओं से जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम वे लोग जो सुधर रहे हैं, जो अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं बल्कि अपनी ही नहीं अपने जैसे जो शोषित और पीड़ित लोग हैं, उनकी जिंदगी में भी आशा का संचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों का केवल जातीय नेतृत्व हथियाने के लिए भी कुछ लोग साजिश करके हत्याएं करते हैं तो यह देश पर एक बदनूमा दाग है इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सरकार पर आरोप लगाकर अपने कर्तव्य से मुक्ति मिल गई। हमें सोचना चाहिए कि फूलन देवी जो एक रहस्य, एक कथा और एक इतिहास बन गई हैं जिससे पूरा देश जुड़ा हुआ है, उस कथा की व्यथा हमारे मन को भी पीड़ित कर रही हैं। राजनेता मन में नहीं, मेरे संत के मन में पीड़ा पैदा हुई है और फूलन देवी जी कभी-कभी अचानक मिलने पर बातचीत होती थी मुझे उनकी बदलती हुई जिंदगी देखकर, जिंदगी के प्रति बढ़ती हुई उनकी आस्था को देखकर और उनके अंदर बढ़ती हुई आध्यात्मिक सरलता को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वह किसी रोग से पीड़ित थी और प्रतिदिन दवा लेने एनैक्सी जाती थी। हत्या के दिन उस समय उनके पास दिलेर जी बैठे हुए थे जब सांसद श्री रघुराज शाक्य पहुंचें थें और कहा था कि चलो हम आपको छोड़ आएँ। दिलेर जी यहां बैठे हैं। उनसे वह उस समय भी अपनी शारीरिक पीड़ा की चर्चा कर रही थीं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इस घटना को राजनीति से न जोड़ा जाये और इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाये कि वे कौन से विधायक हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं और वे कौन लोग हैं जो रुढ़की में बैठकर उनकी मौत का तानाबाना बुनते हैं? वे कौन लोग हैं जो इड्यंत्र करते हैं और किशोरवय के कुछ लोगों को हत्या के लिये प्रेरित करते हैं। कौन लोग हैं, जो सरल साधु मन की महिला के मन को जीतकर उसके साथ मृत्यु का खेल खेलते हैं? इन सवालियों का जवाब आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री जी इन सवालियों का जवाब अवश्य देंगे।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से फूलन देवी जी की हत्या के सिलसिले में माननीय गृह मंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, मैं समझती हूँ कि फूलन देवी जी की हत्या जिस नृशंस तरीके से की गई, जब सदन को इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो सारा सदन किर्करतव्यविमूढ़ हो गया लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हत्या डेढ़ बजे हुई और माननीय सोमनाथ चटर्जी आगरा शिखर वार्ता पर बोल रहे थे तो उस समय माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी ने आकर कहा कि अभी-अभी फूलन देवी जी की हत्या के बारे में उन्हें जानकारी मिली है।

यह सोचने की बात है और सबसे बड़ी विडम्बना है कि दिन के डेढ़ बजे हत्या हुई और हमारी सरकार की ओर से नहीं बल्कि एक सांसद की ओर से सदन में ढाई बजे सूचना दी गई कि फूलन देवी का मर्डर हो गया है।

श्रीमती फूलन देवी का जीवन संघर्षमय रहा और छोटी सी उम्र में ही चुनाव तक पहुंच गई। मरने के समय तक वह संघर्ष करती रही और उनकी हत्या हो गई। मैं तो समझती हूँ कि समय पर सरकार द्वारा सूचना न देने पर उसकी सरकार की विफलता है। मैं लोगों द्वारा सुनी रही थी कि उ.प्र. के मुख्य मंत्री का निवास बगल में है और जब मैं उधर से होकर गुजरी तो मालूम हुआ कि वह घर इतना नजदीक है कि वहां एक ही चारदीवारी है जहां पुलिस तैनात रहती है। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं लगी कि कोई नकाबपोश किसी की हत्या के लिये तैयार बैठा हुआ है। यहां अपने वक्तव्य में माननीय गृह मंत्री जी ने बतलाया था कि 3-3 आदमी सादे वस्त्रों में सुरक्षा के लिये तैनात रहते हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि सादे वस्त्रों वाले वे तीन सुरक्षाकर्मी वहां क्या कर रहे थे ? इतनी गोलियां दागने के बाद, बगल में सुरक्षाकर्मियों ने दरवाजे पर आने का काम क्यों नहीं किया? क्या यह सरकार की विफलता नहीं है? कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि हत्या करने के लिये साजिश

रची जाती है तो सरकार को I.B. के द्वारा जानकारी मिलती है कि किसी के साथ ऐसी घटना घटने वाली है। श्रीमती फूलन देवी ने गरीबों के लिये संघर्ष किया और इस सदन में उनके समर्थन में आवाजें उठाती रहीं। वह जो भी बात कहती थी, दिल की गहराई से बोलती थी क्योंकि उनके दिल में समाज के दबे-कुचले लोगों के लिये संवेदना थी। चूंकि वह ऐसे वातावरण को झेल चुकी थी इसलिये इतनी दूर तक पहुंची थी। न केवल यह सदन बल्कि देश की पूरी जनता भयभीत है कि अति सुरक्षित जगह पर एक सांसद की हत्या हो जाती है तो आम जनता की कौन सुरक्षा करेगा?

उपाध्यक्ष महोदय, 1996 में जब मैं इस सदन में थी, श्रीमती फूलन देवी को उस समय से जानती थी और उनके मन की पीड़ा, तकलीफ तथा उन सारी बातों से अवगत थी। जब उनसे बातचीत हुई थी तो वह कहती थी कि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी हत्या न हो जाये। जब मैंने उनकी हत्या होने की बात सुनी तो वाकई मेरी आंखें छलक गईं। उनकी जो शंका थी उसे दरिदों ने पूरा करके दिखा दिया। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि आई.बी. क्या करती है। देश के लोगों में जो असुरक्षा की भावना है और विशेषकर हम सांसदों के मन में है कि हम जब अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो वहां सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वहां जनता हमारे साथ होती है लेकिन जब यहां दिल्ली आते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं कि पता नहीं कौन और किस समय किसी व्यक्ति को उठा ले जायेगा? चुनाव में कई दुश्मन पैदा हो जाते हैं और ऐसी हालत में अगर हम लोगों की सुरक्षा सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्लैरिफिकेशन्स पूछिये, क्योंकि अभी बहुत से एम.पीज. बोलने वाले हैं।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब श्रीमती फूलनदेवी के बारे में ज्ञात था कि उनकी जिन्दगी खतरे में पड़ी हुई है, तो उनकी सुरक्षा के क्या प्रबंध किये गये थे। हम जैसे आम सांसद लोगों की सुरक्षा के लिये क्या माननीय गृह मंत्री जी कोई उपाय करेंगे?

या फिर से इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति हम लोगों के बीच में होने वाली है। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं श्रीमती फूलन देवी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ।

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I stand with a sense of loss and sorrow at the death of a Member with whom I had an opportunity over the last few months to work closely as she was a member of the Committee on the Empowerment of Women. She travelled with us. When one spoke to her, one saw what she had gone through. She talked very often about her experiences in the jail, particularly when we were visiting the jails recently. But today she is no more. In keeping with the tradition, I do not want to go into a speech. I want a few clarifications on the statement which the hon. Home Minister made.

Shrimati Phoolan Devi represented the struggle of women. She struggled for a place despite the oppression and the discrimination particularly of the poor and the weaker sections of rural India. To us, she represented a woman who had the courage to fight back an unjust social order to which she did not submit but decided to fight back. It was a long journey from the ravines of Chambal to the corridors of Parliament House. But she survived that and had to die in the most secure Lutyen's Delhi of the country.

I want to ask the hon. Home Minister about certain things. In the statement, he speaks about that it only reflected the social realities of contemporary India. It was as if he was justifying this as a social reality about which he could not do anything and he has just to accept it. I am sorry that this is hardly the statement which should come from the hon. Home Minister of India on a tragic event of this dimension. But beyond that, what has come out to me is more shocking that the two weapons used in the shoot out - it is not a shoot out but rather the killing - were found in the garage of her own house and yet on the day of the funeral when the Prime Minister, and Shrimati Sonia Gandhi who is under "Z" category security and other leaders were to visit the House to pay their tributes, the Intelligence, the security, the dogs and every thing possible had been taken to search the premises and ensure that the area was safe for the Prime Minister and for everybody else who were going there. They searched the garage, the house and the compound. Yet they did not discover the two weapons which were lying in the garage which had the smoke. The dogs should have been able to smell the smoke. What was the security of Delhi Police doing? Here was the Prime Minister of India visiting the house. Here was the Leader of the Opposition and also all the important people under "Z" category and "Y" category security visiting the place. What did the security do to discover those weapons lying hidden in a cloth in the garage?...*(Interruptions)* This is the level of security and the sort of awareness which exists. I have also seen the things.

Mr. Home Minister, let me tell you one thing about the PSOs you give for the security. They have neither the training nor the equipment to deal with things like this. Most often, you do not want them in the police station and so you dump them in the VIP security. They are not physically fit. They are not equipped. I once told Shri Rajiv Gandhi about this. As a Minister, I refused to carry an armed PSO in the car. Then, I got a letter from the Home Ministry. I said like this: "They are only fit to carry our bodies to the morgue. I will not waste a seat in my car for a PSO." I refused to accept it as a Minister. I never had an armed man in my car. I further said: "They are a threat to me. They will never be able to save me." This is the condition. You have not checked up this. Please check up their capacity even to shoot or to aim at anything. Therefore, I am asking the hon. Home Minister one question.

You have given figures saying that so many crores of rupees are spent and so many people are deployed for VIP security. Who checks their capacity to be able to really defend the VIP and to really act in an emergency?.

The other point I wish to make, which has also been raised by my colleague, is that she lived next to the home of the Chief Minister of Uttar Pradesh. The police were at the gate on duty with guns. When they saw the shoot out while at the gate, there was no reaction; they neither chased nor fired nor did they do a thing when an MP was shot with bullets right next to them at the gate. What were they doing? Were they deliberately ignoring what they had to

do? Were they just indifferent?

Finally, I think all of us have to do soul-searching about the misuse of Government houses, out-houses and garages by MPs. I have complaints from some of my women colleagues in North and South Avenues that the garages in North and South Avenues are being used for the most nefarious activities at night. These are garages allotted to the Members of Parliament. Everything is going on there and women have complained that women MPs when they are living, sometimes alone in their flats do not know who comes and goes by night to these garages in MP quarters. I think, we, MPs have to be very honest about this and say that our garages, our houses, and our out-houses are not misused.

There was a murder in an MP's house and a woman was killed. Big statements were made; investigations were made. But till today, we do not know as to who did it, as to how it happened and who has been arrested. Things like this happen in Delhi and then we blame somebody else. I think, the Home Minister must assure us that a search of all these illegal activities in areas and houses allotted to the Members of Parliament is made and the Intelligence Bureau keeps track of what is happening because the security of all Members of Parliament is at stake.

श्री प्रमुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्रीमती फूलन देवी की हत्या दिल्ली के अशोक रोड स्थित उनके निवास स्थान पर हुई और यह परंपरा है कि सदन में हम कंडोलेन्स करते हैं और बहुत से गंभीर सवालों पर चर्चा भी करते हैं। लेकिन फूलन देवी की हत्या कई सवाल छोड़कर गई है। हम इस पर भाग नहीं करना चाहते, सिर्फ एक दो सवालों पर सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार की जो खुफिया एजेंसियां होती हैं, खासकर गोपनीय बातों का पता लगाकर सरकार को देती हैं और उसी के आधार पर सरकार कार्रवाई करती है। फूलन देवी पर किसी तरह का खतरा था इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की खुफिया एजेंसियों ने कोई सूचना दी थी या नहीं। अगर कोई सूचना दी थी तो उस पर क्या कार्रवाई की गई?

उपाध्यक्ष जी, हम यह भी जानना चाहेंगे कि हम यह मानकर चलते हैं कि अपराधियों के हाथ जो फूलन देवी के गले तक पहुंच चुके थे, उससे यह नहीं मानना चाहिए कि उस हाथ की दूरी वहां तक ही सीमित थी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े से बड़े पद पर बैठने वाले लोगों का गला भी उन अपराधियों से बच नहीं पाएगा ऐसा हम महसूस करते हैं। खासकर जनप्रतिनिधियों को तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता तो होती ही है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी होती है। इसके बाद सदन में सदस्य आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, माफिया गिरोहों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और वे ऐसा अपनी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य समझकर करते हैं। लेकिन हमारे ऐसा बोलने से जिनको परेशानी होती है, वे दुश्मन बन जाते हैं। फूलन देवी की जो हत्या हुई है, सारे लोग मानते थे कि दिल्ली बहुत सुरक्षित जगह है मगर उनकी हत्या जिस ढंग से की गई, उससे देश के अपराधियों के बीच में यह संदेश जाता है कि दिल्ली सबसे सुरक्षित स्थान है हत्या करने के लिए और उस मूल संदेश के विपरीत संदेश जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस संदेश को रोकने के लिए सरकार ने अब तक समीक्षा करके क्या कदम उठाया है जिससे अपराधियों के बीच में इस तरह का संदेश न जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अपराधियों के बीच में जो इस तरह के संदेश गए हैं, वह ठीक नहीं है।

तीसरी बात में यह जानना चाहता हूँ कि वी.आई.पी., एम.पी.ज. या बड़े-बड़े लोगों की सुरक्षा की जो चर्चा चलती है, तो उस सुरक्षा की समीक्षा कौन करता है, क्या सरकारी मुलाजिम करते हैं या सरकार के स्तर पर मंत्री महोदय के यहां से होती है? एक ऐसा प्रकरण मेरी जानकारी में है जिसमें लोक सभा अध्यक्ष के यहां से लिखकर गया कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से लिखकर आया कि उन्हें पंजाब में खतरा है, उन्हें उत्तर प्रदेश में खतरा है या उन्हें बिहार में खतरा है। मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अपराधियों के हाथों की लम्बाई को तय करने वाले वे कौन से व्यक्ति हैं और वी.आई.पी. या बड़े आदमी अथवा एम.पी. को खतरा कहां-कहां है, इसको तय करने और उसके अनुसार कार्रवाई करने वाला कौन व्यक्ति है? इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम सवाल यह जानना चाहता हूँ कि फूलन देवी जी की हत्या के कारण जो लोग हैरान व परेशान हैं तथा जिनको अपनी जान का खतरा है, उन सभी के लिए तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनकी जान को वाकई खतरा है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर हमने नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह यादव जी इस पर बड़े डिटेल में बोले हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : सर, इस पर हमारा भी स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। मैं भी बोलना चाहता हूँ।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती फूलन देवी का जीवन और उनकी नृशंस हत्या, इस देश की व्यवस्था, समाज और तन्त्र के लिए एक करारी चुनौती है, इसलिए मैं इसको उसी दृष्टि से देखता हूँ। श्रीमती फूलन देवी का संपूर्ण जीवन एक क्रांतिकारी उपन्यास की तरह है। उनका संपूर्ण जीवन उनके सतत संघर्ष की कहानी कहता है। वह एक बहादुर एवं वीरांगना थीं। वे अनेक कठिनाइयों को पार करती हुई वहां पहुंची जहां उन्हें वीरांगना कहा जा सके। उन्होंने नारी सम्मान का इतिहास रचकर, नारी सम्मान को न केवल बढ़ाया वरन् उसकी रक्षा की। उनकी असमय नृशंस हत्या, हम सबके सामने एक चुनौती बनकर खड़ी है। उनमें जैसी इच्छा शक्ति थी, यदि वैसी इच्छा शक्ति आज देश की महिलाओं में जागृत हो जाए, तो महिलाओं के ऊपर होने वाले अनेक अत्याचार और अपराध अपने आप रुक सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज श्रीमती फूलन देवी एवं उनकी जिस प्रकार से नृशंस तरीके हत्या की गई, उसके ऊपर सदन में चर्चा हो रही है जिसमें कई बातें उभरकर सामने आई हैं। स्वामी चिन्मयानन्द जी ने बिलकुल साफ कहा कि श्रीमती फूलन देवी के बारे में बहुत सी बेतुकी बातें कही जाती हैं। फूलन देवी की यात्रा जो चम्बल घाटी से प्रारंभ हुई और संसद में आकर समाप्त हुई, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी चम्बल घाटी की यात्रा के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, यह प्रश्न आज देश, समाज और पूरी व्यवस्था के सामने खड़ा है? इस प्रश्न का जवाब हमें ढूंढना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल यही एक सवाल नहीं है ऐसे अनगिनत ऐसे सवाल हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल जरूर करना चाहता हूँ कि जो अतिवशित व्यक्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, जो उनकी इंटीलिजेंस की जाती है, उसका जो एसैसमेंट किया जाता है, थ्रेट परसेप्शन का जो आकलन किया जाता है, उसे करने वाला कौनसा तन्त्र है, उस इंटीलिजेंस के कौन लोग हैं, खुफिया विभाग के लोग कौन हैं? प्रभु नाथ सिंह जी ने ठीक कहा था कि इसमें कौन सी कमी कहां पर है जिसके कारण उनको पता नहीं चला। फूलन देवी को थ्रेट परसेप्शन के बाद पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई, सुरक्षा में चूक थी, इस बात को मान लेना

चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बात ध्रुव सत्य है, उसमें तर्क देने, लौजिक बताने से काम नहीं चल सकता है। तर्क तो दिया जा सकता है कि उनकी सुरक्षा की जो श्रेणी थी उसके अनुरूप उन्हें सुरक्षा दी गई और तीन पिस्तौल वालों की सुरक्षा श्रेणी उनकी नहीं थी, यह कहा जा सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह चूक थी, इसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें जबर्दस्ती लौजिक और तर्क देकर सरकार को बचाने और घेरने पर बहस नहीं होनी चाहिए। यह केवल राष्ट्रीय सवाल है और इस पर इसी दृष्टि से विचार होना चाहिए। जिस प्रकार से फूलन देवी की हत्या की गई, वह आश्चर्य का विषय है और हमारे समाज के लिए एक चुनौती है।

इस समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती यदि कोई है तो वह फूलन देवी जी की शुरु से लेकर अंत तक की जिन्दगी है। मैंने इसीलिए इस बात का जिक्र किया। इस स वर्च्य सदन को हम सब लोगों की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए कि इस देश में किसी दूसरी महिला को फूलन देवी जैसे यात्रा के रास्ते से न गुजरना पड़े। उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि कोई नारी, कोई बहन इस रास्ते में न जा पाए, उसे हथियार उठाने के लिए मजबूर न होना पड़े। नारी सम्मान की रक्षा के लिए वह इस दूरी तक नहीं पहुंच पाए, यही सबसे बड़ा संकल्प आज सदन में होना चाहिए।

मैं अतीत के बारे में एक लाइन कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह जुल्म आज ही नहीं हुआ। (व्यवधान) सोमनाथ दादा, आप जब बोलते हैं तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। अब जरा छोटी बुद्धि वाले लोगों की बात भी सुन लीजिए। हमारी बुद्धि छोटी है, आप बड़ी बुद्धि वाले हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्लैरीफिकेशन पूछिए, इतिहास में मत जाइए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इतिहास अत्याचार से भरा हुआ है। इसमें बहुत से लोगों को आपत्ति होगी। आज पूरे देश में राम मंदिर की चर्चा है, कभी-कभी हनुमान मंदिर की भी चर्चा हो जाती है लेकिन जटायु के मंदिर की चर्चा नहीं है। जब सीता का अपहरण हुआ था तो जटायु ने अपनी पूरी ताकत से अत्याचारी रावण का विरोध किया था। उसका पंख कट कर नीचे गिर गया था। बड़े-बड़े सूरमा नीचे से देख रहे थे, कोई मुकाबला नहीं कर रहा था। क्या जटायु की शहादत की तरह फूलन देवी की भी शहादत होगी, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूँ? क्या इस शहादत को उसी रूप में देखा जाएगा? मैं यह सवाल छोड़ कर चला जाता हूँ।

मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूँ कि फूलन देवी की शहादत को आसानी से न लेकर सामाजिक विमता के खिलाफ, नारी सम्मान के लिए फूलन देवी ने जो लड़ाई लड़ी, उसे बँडिट क्वीन कहा गया, मेरा इस पर बहुत विरोध है। अंडर कम्पलेशन या क्या सिचुएशन थी, यह परिस्थिति किसने पैदा की? क्या वह बैंक लूटती थी? क्या वह डाकू थी? सबसे बड़ी बीमारी यदि कोई है तो वह कॉस्ट सिस्टम है। पैरामीटर अलग-अलग हो जाते हैं, व्यक्ति टाइटल के आधार पर मैरिट देखता है। फूलन देवी एक बहादुर महिला की तरह रही। जटायु के बाद यदि कोई इतिहास है तो वह फूलन देवी का होना चाहिए। उन्होंने नारी सम्मान के लिए जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया।

गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें कहा है कि श्रीमती फूलन देवी की नृशंस हत्या ने एक बार फिर राजनीति के अपराधीकरण के उस नासूर को उजागर कर दिया है, भारतीय लोकतंत्र को आहत किया है। मैं आपके इस बयान का स्वागत करता हूँ लेकिन इस पर कितना खरा उतरा जाए, इसके लिए आपके हाथ में ताकत है, शक्ति है, आप जरा लोकतंत्र को बचाइए। इस तरह की हत्याओं का सिलसिला बंद होना चाहिए। इस तरह का जुल्म और अत्याचार नहीं होना चाहिए। पूरे देश में यही मैसेज गया है। फूलन देवी की मौत के बाद, जो मिथ बना हुआ था कि दिल्ली में हत्या करके कोई अपराधी आसानी से नहीं निकल सकता, वह मिथ टूट गया है। गृह मंत्री जी, उस मिथ को पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): I want to seek a clarification. ...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: There could be one question from each hon. Member.

...*(Interruptions)*

कुंवर अखिलेश सिंह : इसमें हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव है। जब नियमों की बात की जाती है तो कहा जाता है कि (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : काम रोको प्रस्ताव पर बहस नहीं हो रही है, यह तो वक्तव्य पर क्लैरीफिकेशन पूछ रहे हैं। नियमों की बात मत करें। एक-एक सवाल को पूछने के लिए मैं चांस दूंगा।

SHRI P.H. PANDIYAN : I want two clarifications. ...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: There will be only one question from each hon. Member and not more than that.

...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have to take up the other matter also.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only one clarification in the form of a question.

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं श्रीमती फूलन देवी का व्यक्तित्व जो शोण के विरुद्ध सदैव लड़ता रहा और अन्याय के विरुद्ध लड़ता रहा, उस क्रान्तिकारी महिला के लिए, जिसने महिला समाज को एक संदेश दिया है कि वह अपने विरुद्ध होने वाले शोण को, अपने उम्र होने वाले अन्याय को स्वयं अपने बलबूते पर आगे संभाले और समाज में उसका जवाब दे। मेरा सवाल यह है, मैं जानना चाहती हूँ कि 'जेहि आंचल दीपक जय्यो, हन्यो सो ताहि गात' यह राजस्थानी कहावत है कि जिस आंचल में दीपक छिपा हुआ है, उसी दीपक ने उसका शरीर हनन कर लिया है। जिस समय हमारे सांसद भाई उसे अनेक्सी से लेकर गये, उस समय यदि वे सांसद भाई उन्हें घर के अन्दर उतारकर आते तो शायद उस बहन की हत्या नहीं होती, वे बच जातीं। दूसरा मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि यदि कोई भी सांसद भाई किसी बहन को लिफ्ट देना चाहें तो लिफ्ट देते समय कम से कम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। एक तरफ उसके परिवार वाले कहते हैं कि हम दिल्ली में उसकी अन्वेषण करना चाहते हैं, लेकिन उदारवादी मन वाला समाजवादी परिवार उसको अपना परिवार मानता है तो उसके 12 दिन तो पूरे करके आता। ये 12 दिन भी पूरे करके नहीं आये और जब उसकी शोक सभा हुई तो उसके अन्दर कोई भी बड़ा आदमी नहीं पहुँचा। मेरी पार्टी के सभी व्यक्तित्व के धनी लोगों से इस बात पर मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या उसके 12 दिन तक भी पूरे क्यों नहीं किये और उसकी शोक सभा में उपस्थित होने में बाद में शर्म क्यों आई? मैं इस बात का दोनों का उत्तर चाहती हूँ। ...(व्यवधान)

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, फूलन देवी हत्याकांड एक ऐसा जघन्य हत्याकाण्ड है, उसकी जितनी भी कड़ी से कड़ी निन्दा की जाय, उतनी कम है। वी.वी.आई.पी. इलाके में एक सांसद की दिन-दहाड़े हत्या आम आदमी को भी सुरक्षा पर सोचने पर विवश करती है। वे एक दलित, शोणित और पीड़ित महिला थी और दलितों, पीड़ितों और शोणितों के बारे में आवाज हमेशा-हमेशा के लिए जिन हत्याओं के द्वारा शान्त कर दी गई, उन हत्याओं को पकड़ने में सरकार ने सक्रिय होकर जो कदम उठाये हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : आपको एक सवाल पूछना है।

श्रीमती कैलाशो देवी : और सरकार ने जल्दी से जल्दी हत्याओं को पकड़ा है, लेकिन फिर भी मैं सदन से यह अपील करना चाहूंगी कि इस प्रकार से महिलाओं के साथ ज्यादती राजनीति में कोई आम बात नहीं है। पहले भी मायावती जी के साथ ऐसा हो चुका है, और भी असंख्य महिलाएं हैं, राजनीति पर पुरा अपना एकाधिकार समझते हैं और महिलाओं को संघर्ष कर राजनीति में पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से फूलन देवी का घर से जंगल और जंगल से लेकर संसद तक का सफर अत्यन्त ही संघर्षपूर्ण रहा है और उन्होंने दलितों, पीड़ितों और शोणितों के लिए आवाज उठाने का जो जज्बा उनके अन्दर था, उसकी मैं कद्र करती हूँ, लेकिन आगे से ऐसी जघन्य हत्याओं को रोका जा सके, इसके लिए वी.वी.आई.पी. महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मुहैया करानी होगी, ताकि इस प्रकार की जघन्य हत्याकाण्ड की पुनरावृत्ति आगे से न हो।

मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ।

SHRI P.H. PANDIYAN : Mr. Deputy-Speaker Sir, the brutal killing of the Member of Parliament has shocked the conscience of all our fellow Members of Parliament.

MR. DEPUTY-SPEAKER: They have asked only one question. You should also ask one question only.

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, to ask the question I must tell the points.

The reference about criminalisation of politics at this juncture, that too with regard to this, is totally uncalled for. Shri Vidyasagar Rao, Minister of State for Home in an answer to a question, has said that VIP security has been properly given to everybody and patrolling is intensified in the city of Delhi to curb nefarious activities.

Sir, I would say that if those activities were controlled, then it would not have happened. Will you at least hereafter protect other Members of Parliament from being killed?

I would like to ask another question. When does a person – I am asking the Home Minister – get cleared off the stigma of criminality? What is criminalisation? Why do you talk of criminalisation in this particular case? There are two Members of Parliament who have violated the law. They manhandled a police official. They have been given the protection by the Home Minister. Why do you differentiate? ...(Interruptions)

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN (COIMBATORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, what has this reference to do with the Statement made by the Home Minister? ...(Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, is it not a crime? Offending the law is a crime. Whoever offends the law is considered as a criminal. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pandiyan, please conclude.

SHRI P.H. PANDIYAN : You were not afforded protection to Shrimati Phoolan Devi. (*Interruptions*)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Anything not connected with the Statement will not go on record.

SHRI P.H. PANDIYAN : Why are you differentiating the Members of Parliament? ...(*Interruptions*) Is it not a crime? (*Interruptions*) ...(*Not recorded*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pandiyan, what is this? I am on my legs.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pandiyan, you have to seek a clarification on the statement made by the Home Minister.

...(*Interruptions*)

SHRI P.H. PANDIYAN : When you talk of criminality, you draw a line. When does criminality enter into Parliament? In the course of business if he commits a crime, what is the protection you are giving? You are talking of the previous record of Shrimati Phoolan Devi. ...(*Interruptions*)

SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Sir, are you allowing him? ...(*Interruptions*)

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : Sir, we request you to expunge all these references. Otherwise, everybody will raise anything at any point of time. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Radhakrishnan, please allow me to handle it.

...(*Interruptions*)

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, am I not entitled to make my submission? Why should they alone get protection? All the Members of Parliament should get protection. ...(*Interruptions*)

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : That is different. ...(*Interruptions*)

* Not Recorded

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, two Members of Parliament have got protection. Then, you should give protection to everybody. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pandiyan, please do not exploit the situation.

SHRI P.H. PANDIYAN : I am asking the Home Minister, through you, Sir ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is such a serious issue. A statement has been made by the Home Minister. You are seeking clarifications on that statement. You are a senior Member. You are the leader of your Party. Please confine your remarks to the statement. Please do not go astray.

...(*Interruptions*)

SHRI P.H. PANDIYAN : Please do not single out Shrimati Phoolan Devi. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you do not have any question, then I will call Kunwar Akhilesh Singh.

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, I want an answer from the Home Minister to my question. Will you afford protection to Members of Parliament who commit crime? You please tell me. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pandiyan, you have asked the question and he will reply.

Now, Kunwar Akhilesh Singh.

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती फूलन देवी की 25 जुलाई को जिस नृशंसतापूर्वक हत्या की गई, उससे पूरा देश ही नहीं, विश्व स्तब्ध है। अभी सदन में यह बात कही गई है कि फूलन देवी के अंदर इधर धार्मिक आस्था पनपी थी। मैं इस बात का विरोध करता हूँ। स्वर्गीय फूलन देवी जब पहली बार मिर्जापुर से संसद सदस्य बनी थीं तो सबसे पहले वे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए बनारस गई थीं। जिन्होंने समाचार पत्रों में यह नहीं पढ़ा हो, वे कृपया पढ़ लें। वह शुरू से ही धार्मिक आस्था वाली थीं। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह भी जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, I am kindled. When two Members of Parliament have been given such protection ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(*Interruptions*)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kuppusami, please take your seat. Can I have to speak to you in Tamil?

...(*Interruptions*)

(c3/1550/mmn-asa)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Kunwar Akhilesh Singh.

*(Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Kunwar Akhilesh Singh.

*(Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: I told you that nothing would go on record except the speech of Kunwar Akhilesh Singh.

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फूलन देवी की हत्या (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have to ask a question. I am asking the hon. Minister to reply.

* Not Recorded

कुंवर अखिलेश सिंह : जब फूलन देवी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए हथियार मांगे थे तो उनकी सुरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस किस मानक

के आधार पर नहीं दिये गये थे? मेरी सूचना के मुताबिक जो मानक बनाया गया था, उसमें फूलन देवी जी से यह कहा गया था कि चूंकि आपके खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा है, इसलिए आपको हथियार का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपा करके यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे लोगों को लाइसेंस दिया गया था जिनके उम्र अपराधिक मुकदमे आज भी न्यायालय में चल रहे हैं और वे किन दलों से संबंधित हैं? उन्हें किन मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है और दूसरा प्रश्न है कि फूलन देवी के हत्यारे जिस रवीन्द्र को सहारनपुर में पकड़ा गया है, उस रवीन्द्र का बड़ा भाई धर्मपाल और कमल राठी ट्रैक्टर और राठी पोल्ट्री फार्म्स के मालिक के साथ जो काम करते हैं, वे पोल्ट्री फार्म्स और ट्रैक्टर के मालिक किस दल के हैं और वे किस दल के विधायक के दोस्त हैं और क्या उक्त दल के विधायक ने उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली व्यक्ति के लिए अपनी सीट खाली करने के लिए नहीं कहा था?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Home Minister.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, he also wants to ask a question.

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : आज मीडिया में छपा है कि पुलिस सपा के विधायक के नजदीक पहुंचने वाली थी कि डरकर सपा विधायक ने उनको सरेंडर करा दिया। मैं आडवाणी जी से उस सपा विधायक का नाम पूछना चाहूंगा। (व्यवधान) मेरा दूसरा सवाल है, (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, अभी-अभी जो अखिलेश ने बताया है, उसका उत्तर आना चाहिए कि जिस विधायक ने अपनी विधान सभा सीट उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए छोड़ने की ऑफर की थी, (व्यवधान) वे दोनों भाई किसके संबंधी हैं, वह किस पार्टी का नेता है? (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mulayam Singh Yadav, he is asking a question.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except his speech.

*(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except him.

*(Interruptions) **

* Not Recorded

श्री छत्रपाल सिंह : सपा के किस सांसद ने पार्लियामेंट के अहाते से राजवीर को सम्पर्क किया था? (ब्यवधान) और उसने कहा था कि काम हो गया है, उस सपा के सांसद का भी नाम आना चाहिए। (ब्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I have asked you to give the floor.

...(Interruptions)

SHRI C. KUPPUSAMI : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to have an opportunity to put a question to the Home Minister. I want to seek a clarification.

*(Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is this?

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, it is not concerned with the Minister.

*(Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: Will you please resume your seat?

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hereafter, no Member from Tamil Nadu should be given an opportunity to speak in this House.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, order please.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pandiyan, please ask your Member to behave.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, nothing will go on record.

(Interruptions)*

* Not Recorded

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही सवाल है। आज से आठ दिन पहले श्रीमती फूलन देवी की हत्या 25 जुलाई को दिल्ली में हुई। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस हत्या के बाद बाकी सांसदों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये क्या इन्तज़ाम किये गये हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, हमने मांग की थी यदि सरकार सांसदों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती तो माननीय गृह मंत्री जी को त्याग-पत्र दे देना चाहिये मगर वे त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं। हमने माननीय वाजपेयी जी से त्याग-पत्र की मांग नहीं की तो वे त्याग-पत्र देने की बात कर रहे हैं। *

उपाध्यक्ष महोदय : यह सवाल कहां पैदा होता है?

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह रिलेवेंट क्वश्चन नहीं है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : Sir, you should expunge from the record whatever he has said now. The House is at present discussing only the statement made by the hon. Minister of Home Affairs. ...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: His question is not relevant and so I remove it.

...(Interruptions)

* Expunged as ordered by the Chair.

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्यतः सरकार की ओर से इस सदन में जब कोई वक्तव्य होता है तो नियमों के अनुसार उस वक्तव्य पर कोई स्पटीकरण नहीं पूछा जाता। दूसरे सदन में दूसरी परम्परा है लेकिन इस बार जब इस विषय पर वक्तव्य देने की बात स्वीकार हुई तो अध्यक्ष जी ने सभी नेताओं की इच्छा का आदर करते हुये कहा था कि इस बार इसमें अपवाद करेंगे और स्पटीकरण का अवसर देंगे।

16.00 hrs.

लेकिन चूंकि विषय सदन की सदस्या की हत्या का है, इसीलिए इस सदन में अब से नई परम्परा शुरू हुई है कि अगर किसी का देहान्त होता है और फिर कोई ओबिग्युएरी रेफरेन्स होता है तो पिछले दिनों यह तय हुआ कि केवल स्पीकर साहब की ओर से ही बोला जायेगा और बाकी सदस्य नहीं बोलेंगे। इसीलिए आज स्पटीकरण न होकर जिन-जिन सदस्यों को बोलने का अवसर मिला, उन्होंने इसे एक श्रद्धांजलि का अवसर मानकर उस सदस्य का स्मरण किया, उसके जीवन का स्मरण किया। जिस जीवन के बारे में मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि जो आज की सामाजिक वास्तविकता है, वह उसका प्रकटीकरण करता है। एक पिछड़े हुए गरीब घर में जन्म लेने वाली लड़की को किस प्रकार के कट सहन करने पड़ते हैं, कितनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं, जिसके कारण उनके जीवन में ऐसी विकृतियां आ जाती हैं कि उन पर दुनिया भर के आरोप लग जाते हैं। इस बात पर किसी को भी संदेह नहीं है कि वह दो बार सदन की सदस्या रही हैं और वह जिनके भी सम्पर्क में आई होंगी उन्हें इस बात की अनुभूति हुई होगी कि यह एक ऐसी महिला है कि जिसके बारे में चाहे दुनिया भर के शब्द कहे गये हों जिनके कारण उनकी एक छवि बनी हो, लेकिन उनकी वास्तविकता बिलकुल दूसरी है और उस वास्तविकता में एक तथ्य जरूर है कि वह अपने भूतकाल से ऊपर उठना चाहती थीं। जो हो गया सो हो गया, अब जीवन में अवसर मिला है, संसद सदस्या बनी हूँ, उसके कारण अपने क्षेत्र, अपनी जनता की जितनी सेवा कर सकूँ, करूँ। अपने व्यक्तिगत जीवन में जितना परि वर्तन ला सकूँ, लाऊँ। ऐसी महिला के प्रति स्वाभाविक रूप से जो-जो भी वक्ता यहां बोले, वे अपने-अपने ढंग से बोले। चाहे चन्द्रशेखर जी बोले हो, श्री मुलायम सिंह जी बोले हों, श्री शिवराज जी बोले हों या स्वामी चिन्मयानन्द जी बोले हो। उन्होंने जिन-जिन शब्दों का उपयोग किया, वे सर्वोचित हैं, उपयुक्त हैं। अगर किसी को आपत्ति हुई तो यह हुई कि उनके नाम पर इस प्रकार की फिल्में क्यों बनीं थीं, इस प्रकार की पुस्तकें क्यों छपीं, वह भी स्वाभाविक है, उचित है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज जी ने एक बात कही कि इसमें इन्टेलीजेन्स विभाग का फेल्योर लगता है और उसी संदर्भ में उन्होंने महात्मा गांधी, श्रीमती गांधी, श्री राजीव गांधी की हत्याओं का उल्लेख करके कहा कि उनमें इन्टेलीजेन्स का फेल्योर हुआ। इसी कारण वे हत्याएं हुईं। यह एक प्रकार से सही है। अगर हमारा

इन्टेलीजेन्स विभाग ऐसा होता कि सौ करोड़ के देश में जो भी अपराध करने वाला हो, उस अपराध की जानकारी पहले प्राप्त कर सकता होता तो यह कोई हत्या न हुई होती। इसलिए मैं मानता हूँ कि इस केस में कम से कम जो बातें स्वामी जी ने कहीं, वे ज्यादा सही हैं कि अगर विश्वासघात होता है तो फिर आप चाहें जितनी सुरक्षा रख लें, जिस व्यक्ति को परिवार में, मकान में पहुंचने की एकसैस मिल गई है, चालाकी से चतुराई से जिसने विश्वास प्राप्त कर लिया है, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। फिर आप चाहे जितनी सिक््युरिटी लगा लें। उनके पास तीन सिक््युरिटी गार्ड्स थे, यदि 10-15 भी होते तो भी क्या होता, जिस व्यक्ति को अंदर पहुंचने की एकसैस मिल गई हो, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां किसी ने ध्यान दिलाया कि उनके गैरेज में दो हथियार पड़े रहे। जिस समय देश के प्रधान मंत्री और विपक्ष की नेता वहां गईं, उस समय भी हथियार वहीं पड़े रहे। यह सही है, मैंने पूछा था कि यह हथियार कब मिले तो मुझे बताया गया कि यह 30 तारीख को मिले। चूंकि वह गैराज अन्दर से बंद था, जिस समय हत्या हुई। उनके पास कुछ अच्छे रिवाल्वर थे, जो वे साथ ले गये या कुछ कार में से निकले थे। लेकिन दो हथियार कट्टे थे, कंट्री मेड एम्यूनीशन थे। लेकिन 30 तारीख को उस गैरेज में से मिले जबकि घरवालों ने बताया कि ये वहां पर हैं।

इस प्रकार की यह घटना प्रमुख रूप से सुरक्षा के अभाव के कारण नहीं हुई जितना कि हत्यारे द्वारा चालाकी करके, चतुराई करके, अपने विक्टिम का विश्वास प्राप्त करके घर में प्रवेश प्राप्त करने के कारण हुई।

जितने सवाल पूछे गए हैं कि फलां किस पार्टी का था, फलां सांसद किसका था और किसका एमएलए था, अभी तक जितनी जानकारी मिली है और जितनी जांच हुई है, उस जांच के आधार पर पुलिस को नहीं लगता कि यह हत्या कोई राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि यह उपयुक्त नहीं होगा कि इसको किसी भी पार्टी के दृष्टिकोण से देखें। अगर मैंने अपराधीकरण की बात इसमें कही है तो उस अपराधीकरण का संदर्भ इस बात से है कि अब तक जिसको प्रमुख सस्पेक्ट माना जा सकता है, जो पहले दिन ही साफ हो गया था कि प्रमुख सस्पेक्ट शेर सिंह राणा है जिसका जिक्र मैंने अपने वक्तव्य में भी किया है, उसने अलग-अलग स्टेज पर दो बयान दिये हैं। एक बार बयान दिया कि बहमई के हत्याकांड का बदला लेना था इसलिए मैंने ऐसा किया, दूसरी बार उन्होंने यह भी बयान पुलिस को दिया कि मुझे लगता था कि यह तरीका ऐसा है कि जिस तरीके को अपनाकर मैं बड़ा नेता बन सकता हूँ, मैं पॉपुलर हो सकता हूँ और पॉपुलर होकर किसी दिन संसद में पहुंच सकता हूँ और बड़ा नेता हो सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि राजनीति के अपराधीकरण का सबसे बड़ा दुपरिणाम यह है कि अपराधी सोचे कि मैं आज अपराध नहीं करता हूँ, अपराध करूँ तो हो सकता है कि मैं कल राजनेता बन जाऊंगा और इसी कारण मैंने उसका जिक्र किया।

वोहरा कमेटी का सवाल पूछा था सोमनाथ जी ने। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट मैंने फिर से देखी है। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट के बाद गृह सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग रेगुलरली होती है और अभी जनवरी फरवरी में भी हुई थी, लेकिन मायावती जी ने जो बात कही वह सबसे अधिक सही है और मुलायम सिंह जी ने जो बात कही, उससे भी मैं सहमत हूँ कि यह अपराधीकरण का मामला ऐसा नहीं है कि जिसको कानून द्वारा हम रोक सकें। यह कानून द्वारा रोका नहीं जा सकता और खासकर हिन्दुस्तान में जो अदालती व्यवस्था है, उसी कानून-व्यवस्था में अगर हम ऐसा कानून बनाएंगे तो उस कानून का उपयोग चाहे जिसके खिलाफ हो जाएगा और वह नहीं होना चाहिए। हां, अगर राजनीतिक दल स्वयं इस संकट को पहचानकर और इस विकृति को पहचानकर स्वयं अपने-अपने बारे में निर्णय करें, आज शायद ही कोई राजनीतिक दल होगा जो दूसरे पर अंगुली उठाएगा तो उसको यह नहीं कहा जाएगा कि कांच के मकान में बैठकर दूसरों पर पत्थर मत फेंको। शायद ही कोई दल होगा। आखिर मुलायम सिंह जी ने दुनिया भर के उदाहरण दिये, मैं भी उदाहरण देना शुरू कर सकता हूँ, किसी के बारे में भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यदि कोई कमी है तो उसमें हम सब भागीदार हैं। कोई विरला ही बचा होगा जो अच्छी बात है लेकिन आज के अवसर पर इस बात को हम पहचानें।

सुरक्षा की दृष्टि से शिवराज जी से मैं सहमत हूँ कि इस बारे में संकोच नहीं होना चाहिए कि करोड़ रुपये खर्च होते हैं। करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी हम प्रधान मंत्री के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत व्यवस्था करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे असुरक्षा का भाव देश भर में फैला हुआ हो, कई बातों के कारण, जिसमें हमारे पड़ोसी देशों द्वारा जो लगातार प्रॉक्सि वार चलाया जा रहा है, हमारे देश के खिलाफ, वह एक बड़ा कारण है और साथ-साथ देश के अंदर जो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी है, माफिया गैंग्र बड़े हैं, ये सारे कारण होने के कारण असुरक्षा का भाव सभी को व्याप्त करता है लेकिन चंद्रशेखर जी ने सही बात कही कि अगर किसी को दिखाई देता है कि नई दिल्ली में संसद के सत्र चलते हुए संसद की एक सदस्या की अपने निवास से सामने हत्या हो जाती है तो उसके कारण असुरक्षा का भाव फैलता है।

उसको कोई जस्टीफाई नहीं कर सकेगा और इसीलिए सरकार इसको कोई गंभीरता के साथ नहीं लेती है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद से लेकर लगातार मैं बात करता रहा हूँ, चर्चा करता रहा हूँ, यहां तक कहता रहा हूँ कि चाहे मैंने पहले कहा हो कि बहुत सारे सो-कॉल्ड वी.आई.पी.ज. स्टेटस सिम्बल के नाते सुरक्षा लेते हैं और इसीलिए स्टेटस सिम्बल के नाते सुरक्षा लेने वालों पर इनएक्ट मत करो, तो भी कितने सांसदों ने, किन-किन सदस्य ने सुरक्षा मांगी है, इसका पता मुझे दो, मैं उसको एग्जामिन कराऊंगा, लेकिन मैं इतना निवेदन आपसे करूंगा कि निर्णय मैं नहीं करता। (व्यवधान)

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): It is not a question of asking.

SHRI L.K. ADVANI : I am merely telling you that there is a process. उस प्रॉसेस में दो समितियां बनी हुई हैं और केवल आई.बी. नहीं, इंटीलैजेंस ब्यूरो के प्रतिनिधि होते हैं, शासन के कुछ अधिकारी होते हैं, पुलिस से भी कुछ अधिकारी होते हैं और वे सब मिलकर एक-एक केस एग्जामिन करते हैं और केवल वे केसेस नहीं हैं जिनकी ओर से एप्लीकेशन आती है, जिन्होंने सुरक्षा मांगी है, सब प्रकार के केसेस होते हैं और उन सबको देखकर निर्णय किया जाता है।

प्रभु नाथ सिंह जी, और देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने मेरा ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि जो उनकी सिक््योरिटी थी, उसको डाउन ग्रेड किया गया है और जो उनका सुरक्षा गार्ड था, उसकी भी उनके क्षेत्र में कुछ दिन पहले ही हत्या की गई थी। इस प्रकार की जानकारी के आधार पर कुल मिलाकर जितने इन-पुट्स हैं, उनके आधार पर जो सुरक्षा के प्रबन्ध देखने वाले अधिकारी हैं, उनको हिदायत दी गई है कि वे इन तथ्यों के ऊपर भी ध्यान देकर कुछ करें।

उपाध्यक्ष महोदय, नई दिल्ली क्षेत्र में और जो वी.आई.पी. क्षेत्र माना जाता है, उसमें यदि कोई हत्या होती है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। मैं इस बात को मानूंगा कि 44 अशोक रोड पर इस प्रकार की दुर्घटना हो जाए, तो उससे ज्यादा असर होगा, यह बात प्रकट है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखकर, आपने जो सारी बातें कही हैं, मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि इस मामले को सरकार गंभीरता पूर्वक ले रही है। जो आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी है, वह करेंगे। (व्यवधान)

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI (KHAJURAHO): What is the achievement of the police? (व्यवधान)

श्री लाल कृण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां अभी कहा गया, मुलायम सिंह जी ने कहा और अखिलेश जी ने बताया कि उन्होंने यू.पी. की सरकार से लाइसेंस मांगा था। मैंने पता लगाया है, उन्होंने 1997 में आर्म्स लाइसेंस उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगा था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें लाइसेंस नहीं दिया। यह बात सही है। (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : उन्होंने अभी भी मांगा था, इस सरकार से भी मांगा था, आप पता लगा लीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं पता लगवा लूंगा।

कुल मिलाकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस बात का थोड़ा सा समाधान है, ज्यादा नहीं, चार लोग, जो इस कुकृत्य में शामिल थे, वे चारों पकड़े गए, और अब कहते हैं कि पांचवां भी है, मैं नहीं जानता हूँ। (व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): The police did not arrest them; they themselves surrendered to the police.

SHRI L.K. ADVANI: Let us not underplay the achievement of police. मैं आपको बता सकता हूँ कि यदि केवल सरेंडर ही करना था, तो यहां पर भी कर सकते थे। मैंने उसका विवरण अपने स्टेटमेंट में दिया है कि किस प्रकार से पुलिस ने तुरन्त कार्रवाई की और कार्रवाई करने के दौरान धीरे-धीरे ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उनको लगा कि जाकर सरेंडर करना पड़ेगा, उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद तीन-चार दिन और लगे, मैं इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। (व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उस दिन अखबार में न्यूज थी कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन वे चारों पुलिस थाने में थे, इस पर भी वे कुछ प्रकाश डालें ? (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please let him complete his speech.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वह तो जेल में था। वह भी तथ्य है। आगे की व्यवस्था कैसे की गई है, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उसका आगे की इन्वेस्टिगेशन से संबंध है। इसीलिए मैं उसके तथ्य नहीं रख रहा हूँ। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि पिछले दिनों कई सारे बम विस्फोट दिल्ली में भी हुए हैं।

कुछ ट्रेनों में हुए। कल केन्द्रीय एजेंसी, दिल्ली की पुलिस, आंध्र की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस, इन लोगों के कोआर्डिनेट ऐफर्ट से एक बहुत बड़े टैरोरिस्ट्स आउटफिट्स को पकड़ा गया। 23 लोग अलग-अलग स्थानों पर गिरफ्तार किए गए और उनके पास बहुत सारे बारूद और हथियार पाए गए। उसके द्वारा बहुत सारे बम विस्फोट करने वाले लोग पकड़े गए हैं, यह खुशी की बात है। इसलिए पुलिस की ओर से, अपनी ओर से पूरी कोशिश है कि ठीक प्रकार की व्यवस्था हो। गुप्तचर विभाग को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार लगी हुई है, उस पर विचार-विमर्श हुआ है।

SMT. MARGARET ALVA : Sir, I have one request to make. Even when you down-grade security or when you withdraw security, we have seen that the list of those whose security has been down-graded is released to the Press. That, I think, is disastrous. आप सिक्युरिटी कम करिए, विदग्ध करिए। लेकिन आप पूरी दुनिया को बताते हैं कि उनकी जैड की सिक्युरिटी वाई की कर दी गई, वह सिक्युरिटी कम कर दी गई। इससे बहुत नुकसान हो रहा है। Please do not announce to the world that we have reduced or withdrawn security. Let the person concerned only know about it. Why should everybody be told about it? इसकी सुरक्षा कम की है, उसकी सुरक्षा कम की है, उसकी सुरक्षा विदग्ध की है। This is very wrong, but this is happening.

SHRI L.K.ADVANI: It is a very elementary thing that you have said now. I am sure that no one in Government ever announces that so and so has been provided ... (Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): I can send the Press clippings... (Interruptions) I will send you the paper cuttings... (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कोई सरकारी अधिकारी अगर इस प्रकार की सुरक्षा की सूचना बाहर देता है तो मैं उसके लिए उसको दंडित करूंगा। यह सवाल ही नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House would take up matters under Rule 377.

...(Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, today in the Leaders' meeting it was decided that discussion on the 'Recent summit level talks held between India and Pakistan in Agra' would be taken up and concluded today.

MR. DEPUTY-SPEAKER: So, the Matters under Rule 377 is deemed to have been laid on the Table of the House.

...(Interruptions)